प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

विषय परिचय एवं शोध का तर्काधार

वर्तमान लोकतांत्रिक युग में राजनीतिक एवं प्रशासनिक सफलता के लिए नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साधारण भाषा में नेतृत्व से अभिप्राय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जाग्रत करती है। नेतृत्व एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अन्य व्यक्तियों को एक निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने की क्रिया को कहते हैं। किन्तु इसमें दबाव का अंश नहीं होना चाहिए। नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। अतः नेतृत्व से अभिप्राय है मार्ग दर्शन करना, यह मार्ग दर्शन शासन एवं राजनीति के प्रत्येक पक्ष एवं स्तर से संबंधित होता है।[1] भारत में संसदीय लोकतंत्र के साथ–साथ विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन के संघीय प्रतिमान को अपनाया गया है। अतः विकेन्द्रीकरण को व्यापक रूप देते हुए इसे लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी ग्राम स्तर से ही, पंचायतीराज स्तर पर ही स्वीकार किया गया। इन विकेन्द्रीकृत संस्थाओं को स्थानीय नेतृत्व के आधार पर विशिष्ट महत्व दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतीराज संस्थाओं को स्थान प्रदान किया गया। परन्तु ग्रामीण स्थानीय नेतृत्व विशेषतः महिला नेतृत्व के रूप में 73वें संविधान संशोधन के उपरांत व्यवस्थित एवं सुदृढ़ हुआ। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों को न केवल संरचनात्मक रूप से वरन् प्रकार्यात्मक एवं आर्थिक रूप से भी सशक्त रूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा पंचायतों को स्थानीय सरकारों के रूप में पदस्थापित करते हुए अधिकार सम्पन्न करने के साथ–साथ स्थानीय नेतृत्व में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया जो राजस्थान में पंचायतीराज विधेयक द्वारा 2008 में 50 प्रतिशत कर दिया

गया। महिला आरक्षण द्वारा जहाँ एक ओर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया वहीं लैंगिक असमानता को कम करने का प्रयास किया गया।[2] **प्रस्तुत शोध प्रबंध उभरते ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व को केन्द्रित** कर स्थानीय प्रशासन को सुव्यवस्थित, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार रहित कर अभिशासित करने से संबंधित है। जिसमें सूचना के अधिकार को महत्वपूर्ण उपकरण एवं हथियार के रूप में निरूपित किया गया है। शोध समस्या स्थानीय सरकारें जो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी कहीं जाती हैं में सुशासन किस प्रकार लाया जा सकता है से संबंधित है। अतः वर्तमान संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन में जबावदेहिता एवं पारदर्शिता विस्तृत होते लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

1992 में विश्व बैंक[3] ने अपने दस्तावेज 'अभिशासन और विकास में जबावदेहिता को सुशासन के लिए अति आवश्यक माना। अतः प्रशासनिक जबावदेहिता, लोकतांत्रिक प्रशासनिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। सूचना प्राप्ति का अधिकार लोकतंत्र के इसी विशेष रूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्थानीय महिला नेतृत्व द्वारा सुशासन को किस प्रकार एवं कितना लाने का प्रयास किया गया है को जानने हेतु **प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोध समस्या के रूप में 'ग्रामीण स्थानीय नेतृत्व एवं सुशासन' (राजस्थान के अजमेर जिले की महिला सरपंचों के संदर्भ में एक अनुभवपरक अध्ययन) का चयन किय गया।**

सुशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था का जीवन है जिसे सूचना के अधिकार से प्राण वायु प्राप्त होती है। अतः लोकतंत्र में सुशासन एवं सूचना का अधिकार अंर्तसंबंधित अवधारणाएँ हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सुशासन सहज एवं सुलभ है क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन में जनता की अधिकतम् भागीदारी होती है। इसलिए अब्राहम लिंकन ने इसे जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा है। अतः इसे खुला, जवाबदेह तथा पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी सच्चे लोकतंत्र तथा सुशासन के लिए जरूरी है कि शासन

के कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता हो जिससे सूचना के अधिकार के तहत् नागरिकों को अधिकतम सूचनाएँ आसानी से हासिल हो सके। इस प्रकार सूचना का अधिकार सुशासन को गति प्रदान करने में शस्त्र का कार्य करता है। यहीं कारण था कि भारत में सन् 2005 में सूचना के अधिकार को संपूर्ण रूप से राष्ट्र में लागू कर दिया है। जिससे प्रशासन तंत्र में पारदर्शिता और जबावदेहिता के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक संभव हो। साथ ही जनसहभागिता के द्वारा लोकतंत्र के वास्तविक आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है।

सुशासन का अर्थ है 'अच्छा शासन' या 'अभिशासन' जो कुशासन से मुक्ति तथा विधि के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कानून का शासन स्थापित करता है। ताकि देश के नागरिक तथा समाज के प्रत्येक सदस्य विशेष रूप से पिछड़े कमजोर व उपेक्षित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हो सकें। अतः सैद्धांतिक आधार पर सुशासन के अंतर्गत प्रशासन में पारदर्शिता तथा लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने की भावना अंर्तनिहित है। वहीं व्यवहारिक रूप में सुशासन वह है जिसमें नागरिकों का बेहतर वर्तमान एवं उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होता है। जो नीतियाँ सरकार द्वारा लोकहित में बनायी गई हैं तथा जिन्हें विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जनता के लाभ हेतु लागू किया गया है। उनसे वास्तव में आम आदमी लाभान्वित हुआ है, यही सुशासन का प्रमाण है।[4]

मार्टिन मिनो गाऊ[5] ने सुशासन को एक व्यापक सुधार रणनीति माना है तथा यह मत व्यक्त किया है कि सरकार को जबावदेह, पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए सभ्य समाज को सशक्त करने की पहल करना सुशासन का अभिन्न अंग है।

2002 में मानव विकास प्रतिवेदन[6] में सुशासन को लोकतांत्रिक सुशासन के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसे उत्तम मानव विकास के लिए आवश्यक माना गया इससे स्पष्ट होता है कि सुशासन सरकार से कहीं ज्यादा वृहद् है।

उप सहारा[7] **अफ्रीका क्षेत्र से संबंधित अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदन में 1989 में विश्व बैंक** ने सुशासन की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से परिभाषा करते हुए कहा था कि सुशासन एक ऐसी लोक सेवा से सम्बन्धित शासन प्रक्रिया है, जो दक्ष है। एक ऐसी न्यायिक सेवा से संबंधित है, जो विश्वसनीय है और एक ऐसे प्रशासन से संबंधित है जो जनता के प्रति जबावदेह है। लोकक्षेत्र प्रबंधन, जबावदेहिता, विकास के लिए विधिक प्रारूपण एवं सूचना तथा पारदर्शिता को सुशासन (अच्छे अभिशासन) के चार मूल आयामों को विश्व बैंक ने प्रस्तुत किया।

यूनेस्को[8] **के अनुसार** सुशासन एक प्रक्रिया, एक संस्था एवं एक यंत्र–विन्यास या तंत्र है, जो समाज के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा हितों को ध्यान में रखते हुए शक्ति तथा प्राधिकार का इस्तेमाल करता है। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि एक दक्ष सरकार के लिए अनेक तत्व आवश्यक हैं यथा जबावदेहिता, पारदर्शिता, समता एवं लोकतंत्र में भागीदारी इत्यादि।

अतः उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सुशासन एक वृहद अवधारणा है जिसकी सर्वमान्य परिभाषा देना असंभव है। वृहद्ता के साथ–साथ सुशासन की अवधारणा अति प्राचीन भी है जिसे पाश्चात्य एवं पूर्वात्य चिंतन के परम्परागत एवं आधुनिक दोनों विचारकों ने अपने ग्रंथों में स्थान दिया। **पाश्चात्य चिंतकों में प्रमुखः प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, मैकफर्सन तथा भारतीय चिंतन में मनु एवं कौटिल्य, शुक्र, गांधी, नेहरू तथा जयप्रकाश नारायण** प्रमुख हैं। अरस्तू द्वारा अपने ग्रंथ **पोलिटिक्स** में प्रतिपादित सद्जीवन पर आधारित शासन तथा कौटिल्य द्वारा अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ **अर्थशास्त्र** में **सुशासन** की धारणा विशेष रूप से उल्लेखित है।

सैद्धांतिक आधार पर प्रतिपादित सुशासन की धारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। जिसे आधुनिक युग में वैश्विक आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 20वीं सदी के अंतिम चरणों में विशेष तौर पर 80 और 90 के दशक में संरचनात्मक सामंजस्य कार्यक्रम के माध्यम से वृहत राजनीतिक

एवं आर्थिक क्षेत्र में नीतिगत सुधार कार्यक्रमों की शुरूआत की गई। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, यूनेस्को तथा यूनीसेफ सुशासन को **सद्जीवन तथा अभिशासन** से सम्बद्ध कर एक नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें विकास अवधारणा को प्रमुखता देता है तथा इस विकास अवधारणा के अंतर्गत विकास कार्यों के आयोजन, कार्यान्वन तथा निगरानी के सभी स्तरों पर जनसहभागिता अति आवश्यक मानते हैं। इन कार्यक्रमों के आधार पर इस विषय पर बल दिया गया है कि विकास की नीति और प्रक्रियाओं में सुधार तब प्रभावशाली होंगे जब लोगों को उन सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अगर सूचना के अधिकार तथा सूचना तकनीकों द्वारा स्थानीय नेतृत्व से ही सुशासन हेतु वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जाए तो प्रशासन के लिए विकास योजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो जाएगा। वास्तव में सुशासन एक सापेक्षित अवधारणा है, जो शासन के सभी पक्षों तथा स्तरों तक होना चाहिए।[9]

वर्तमान में वैश्वीकरण, निजीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था, पूंजी तथा श्रम का पलायन संरचनात्मक, समायोजन, विकेन्द्रीकरण, पुर्नसंरचना विनियमन तथा स्थानीय विकास आदि के युग में जनकल्याणकारी नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वन अधिकतर गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। अतः प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत है–समानता, न्याय, सम्पन्नता, लोकतंत्र तथा इन्हें सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। पिछले कुछ समय से विश्व बैंक व आर्थिक विकास सहयोग संगठन सुशासन को प्रचारित करने में सबसे आगे हैं। विश्व बैंक[10] ने सुशासन को परिभाषित करते हुए तीन पहलुओं से संबंधित किया।

1. राजनीतिक शासन प्रणाली का रूप।
2. विकास हेतु देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में प्राधिकार प्रयोग की प्रक्रिया।
3. नीति–प्रारूपण, नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वन में सरकार की योग्यता।

विश्व बैंक की तरह ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भी विकासशील देशों को विकास संबंधी सहायता देने के लिए सुशासन की शर्तें रखी। इन दो संस्थाओं के अलावा वैश्विक सुशासन से संबंधित आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व यूनेस्को जैसी संस्थाओं ने भी सुशासन के तत्वों और लक्षणों को प्रस्तुत किया। **1955 में 'कमीशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस'** ने सुशासन को प्रबंधन की संपूर्णता से संबंधित किया तथा स्पष्ट किया कि लोकनीति व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नियमों, संस्थाओं तथा घटनाओं को प्रभावित करती हैं। 1999 में दक्षिण एशिया में मानव विकास पर प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर सुशासन में परिवर्तन तथा 90 के दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से वैश्विक आर्थिक व्यवस्थ में व्यापक परिवर्तन हुआ। परिणामतः वैश्विक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नागरिक घोषणा पत्र के माध्यम से प्रशासन को सरल संवेदनशील, जबावदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास शुरू हुआ। आज 21वीं सदी में यह मत व्याप्त है कि सुशासन किसी राष्ट्र एवं क्षेत्र विशेष से जुड़ी अवधारणा नहीं बल्कि एक वैश्विक अवधारणा है जो गतिशील तथा परिवर्तित हो रही वैश्विक परिस्थितियों को सकारात्मकता प्रदान करने से संबंधित है। अतः उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस वातावरण में संयुक्त समन्वित मानवीय प्रयास के माध्यम से सुशासन को प्राप्त कर वैश्विक गांव को विकसित करने में सफलता प्राप्त होगी और संपूर्ण मानव समाज का विकास संभव होगा।[11]

अतः स्पष्ट होता है कि सुशासन निश्चित तौर पर सरकार से व्यापक अवधारणा है। यह प्रथम अर्थ में सरकार एवं उसकी औपचारिक संस्थाओं तथा अनौपचारिक संस्थाओं के रूप में गैर–सरकारी संस्थाओं से संबंधित है। वहीं दूसरे अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय सहायता, शर्तों एवं विधि का शासन, मानवाधिकार, भागीदारी, विकास और लोकतंत्र जैसे अवधारणात्मक समुच्चयों से संबंधित है। कुल मिलाकर सुशासन मानव सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। यह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है

जिसके माध्यम से मानव सभ्यता निरंतर अपने भावी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती रही है।

सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कई कार्य योजनाएँ वैश्विक स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाई गई हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासन में सुधार को दिशा प्रदान करना तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नवसहस्त्राब्दी लक्ष्यों में सुशासन की प्राप्ति को महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया। विश्व के राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों को आधार मानते हुए सुशासन पर बल दिया। भारत में सुशासन के प्रयास स्थानीय स्तर से सद्यपि **73वें व 74वें संविधान संशोधन** से तीव्र हो गए थे, जो नव सहस्त्राब्दी में सूचना के अधिकार द्वारा गतिशील हुए। नवसहस्त्राब्दी में देश में प्रशासनिक सुधारों द्वारा विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं जैसे–लालफीताशाही, कार्यों में देरी, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, जनसेवा की गुणवत्ता में कमी तथा जटिल न्यायिक प्रक्रिया एवं न्याय में विलम्ब आदि को सुधारने के प्रयास किए गए। यह सर्वविदित है कि इन समस्याओं के कारण विकास संभव नहीं है। अतः स्थायी विकास एवं पूंजी निवेश को बढ़ाने हेतु सुशासन एक आवश्यक शर्त है। यह व्यवस्था गांधी के दर्शन के अनुसार ग्रामों से शुरू हो तो सच्चा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है।

भारत ग्रामों का देश है तथा यहाँ 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। अतः सुशासन की शुरूआत भी ग्रामों से ही होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन में स्थानीय स्तर पर सुशासन होना चाहिए, पर बल दिया गया है। यह सुशासन किस सीमा तक तथा किस प्रकार लाया जाए? के संबंध में अनेक अध्ययन संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलन हुए हैं, इस संबंध में 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर शासन तंत्र से जुड़े पदाधिकारियों के रूप में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का **'प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन'** नामक विषय पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रमुख बिन्दु तय किए गए यथा–प्रशासनिक कार्यों में उपभोक्ता समूह और नागरिकों को शामिल किया जाए, नागरिकों और पिछड़े समूहों को शक्ति सम्पन्न और

संसूचित किया जाए, स्वायत्त निर्वाचित स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वन करना और सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन को संवेदनशील बनाना स्वीकार किया गया, जिसकी शुरूआत स्थानीय स्तर अर्थात् ग्राम पंचायतों से की जानी चाहिए। यहीं से प्रशासन को सरल, संवेदनशील, जबावदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास तीव्र गति से शुरू हुआ। संयोगवश इसी दौरान स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारों को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने के प्रयास भी चल रहे थे। अतः स्थानीय सरकारों के स्तर पर सुशासन भारत में धारणा के रूप में उभर कर सामने आया। यद्यपि ग्रामीण स्थानीय सरकारों को व्यवस्थित करने में एपलबी आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति तथा सरकारिया आयोग की महती भूमिका रही परन्तु इन्हें सुदृढ़ एवं सशक्त आधार प्रदान करने का श्रेय **73वें संविधान संशोधन** को जाता है। इस संशोधन द्वारा न केवल पंचायतीराज को सुपरिभाषित किया गया वरन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के रूप में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को आधार मानते हुए त्रिस्तरीय प्रतिमान को सुव्यवस्थित कर शक्ति सम्पन्न किया गया। यह प्रथम अवसर था जब स्थानीय सरकारों के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका, निश्चित समय पर चुनाव तथा आर्थिक रूप से शक्ति सम्पन्न किया गया। वहीं पिछड़े तथा हाशिये पर रहे वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं हेतु समुचित आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें न केवल स्थानीय सरकारें शक्ति सम्पन्न हुई वरन् समाज में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिससे न केवल उनकी राजनीति में सहभागिता बढ़ी वरन् वे राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से सबल एवं सशक्त हुई। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने प्रस्तुत शोध प्रबंध हेतु राजस्थान के अजमेर जिले की स्थानीय महिला नेतृत्वकर्त्रियों को अध्ययन के विश्व के रूप में चुना।

1994 के राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के उपरांत ग्रामीण स्थानीय सरकारों हेतु चार चुनाव हो चुके हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि महिलाएँ नेतृत्व की भूमिका का अधिक सुदृढ़ता से निर्वाह कर रही है। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि महिलाएँ अधिक जबावदेह तथा उत्तरदायी होती हैं। अतः स्थानीय स्तर पर सुशासन को स्थापित करने में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी आधार पर सुशासन जो वर्तमान समय की महत्ती आवश्यकता को परिपूर्ण करने में महिला नेतृत्व कृत्रियाँ किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकती है के संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध समस्या के रूप में **ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व एवं सुशासन** प्रासंगिक एवं समीचीन है।

अध्ययन को व्यवस्थित एवं गहन रूप प्रदान करने हेतु भौगोलिक क्षेत्र के रूप में राजस्थान के अजमेर जिले का चयन किया गया है। अजमेर राजस्थान का **हृदय स्थल** है तथा ब्रिटिश काल से ही प्रशासनिक आधार पर **'प्रेसिडेंसी'** होने के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। अतः प्रशासन तंत्र के संदर्भ में अजमेर जिला विशिष्ट स्थान रखता है। साथ ही अध्ययन हेतु भौगोलिक इकाई के रूप में अजमेर जिले को चुनने का कारण अजमेर का बहुसंस्कृति वाला जिला होना है, जहाँ कई धर्म, जाति, सम्प्रदाय एवं समुदाय के लोग रहते हैं तथा राजनीति में सभी की समुचित भागीदारी रही है। अतः एक महिला जनप्रतिनिधि के रूप में महिला सरपंचों को ऐसे क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु किस प्रकार की कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ आती हैं? महिला सरपंच सुशासन हेतु सभी का सहयोग प्राप्त करने में सफल होती है या नहीं? आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोध हेतु शोध अध्ययन हेतु राजस्थान के अजमेर जिले की महिला सरपंचों वाली ग्राम पंचायतों को चुना गया।

अध्ययन से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

मानव ज्ञान के तीन पक्ष माने गए हैं ज्ञान को एकत्र करना, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना और ज्ञान में वृद्धि करना। यह तथ्य शोध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। शोध कार्य में उस क्षेत्र का साहित्य भावी कार्य की आधारशिला का कार्य करता

है और अनुसंधान की नींव को दृढ़ करने में व दिशा देने के साथ–साथ अनुसंधान में पुनरावृत्ति की संभावनाओं को भी नियंत्रित करता है। इसके अभाव में शोधकर्ता के दिशा भटकने की संभावना रहती है तथा समय और श्रम का व्यय भी होता है। साहित्य का सूक्ष्म पुनरावलोकन कर शोधार्थी न केवल पूर्व में किए गए शोध तथा कार्यों के दोहराव को रोकता है वरन् नई प्राकल्पनाओं, अभियोजनाओं, अभिप्रायपूर्ण तथा कल्याणकारी खोज को प्रस्तुत करता है। साहित्य का सर्वेक्षण इस बात में भी मदद करता है कि शोध किस प्रकार प्रयोजनपूर्ण बन सकता है तथा इसे अधिक यथार्थपरक एवं व्यावहारिक बनाने हेतु किन–किन तकनीकों एवं शोध प्ररचनाओं का प्रयोग शोधार्थी द्वारा किया जाना चाहिए। अब प्रत्येक शोधार्थी के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह जिस क्षेत्र से संबंधित शोध कार्य में लगा है उससे संबंधित अब तक हुए उपलब्ध शोधकार्य व साहित्य का पुनरावलोकन करें। संक्षेप में कहें तो संबंधित साहित्य का अध्ययन अनुसंधान के सभी स्तरों पर सहायता प्रदान करता है और अध्ययनकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक एवं निर्देशक का कार्य करता है। इस संदर्भ में अग्रलिखित लेख व पुस्तकों का उल्लेख किया गया है।

- **www.achikhabar.com/2015/4/28/Sushashan_divas_goodgoverence_day.hindi_essay**[12]

सुशासन दिवस

25 दिसम्बर 2014 को भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90वें जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और आधिकारिक तौर पर जनता के लाभ के लिए अनेक योजनायें शुरू की गई। इसी के साथ सुशासन सभी रेडियो एवं टी.वी. चैनलों पर चर्चा का विषय बना और सुशासन शब्द जन–जन की जुबान पर छाया रहा। वास्तव में सुशासन की अवधारणा का विकास कौटिल्य, अरस्तु तथा प्लेटो दर्शन शास्त्र में देखा जा सकता है। राम–राज्य के रूप में सुशासन की अवधारण प्राचीन काल से विकसित है। परन्तु आधुनिक लोक प्रशासन की शब्दावली में थे। 1990 के दशक में प्रविष्ट हुआ। विश्व बैंक के एक दस्तावेज में

सुशासन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया गया है जिससे शासन शक्ति का प्रयोग राष्ट्र00000000 के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का प्रबन्ध करने के लिए किया जाता है। 1994 में विश्व बैंक ने सुशासन के अभिप्राय को इस प्रकार व्यक्त किया था। ''सुशासन भविष्यवाणी योग्य, खुला और प्रबद्ध, नीति निर्माण्य, एक नौकरशाही जो व्यवसायिक गुणों से लबरेज है, एक कार्यपालिका जो अपने कार्यों में भाग लेता है। खास बात है कि ये सभी विधी के शासन में अपना कार्य करते हैं।

आधुनिक भारत के संविधान के माध्यम से सुशासन की अवधारणा को स्वाभाविक वैधता प्रदान की गई है। सुशासन में विद्यमान अनेक विषमताएँ जैसे कि सहभगिता, विधी का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, आमसहमति, न्याससंगत, प्रभावशीलता, जवाबदेही और सामरिक दृष्टि की वजह से इसका महत्त्व बढ़ जाता है। वर्तमान में समाज, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाये तथा स्वयं नागरिक समाज इस बारे में चिंतित है कि भाारत में सुशासन की व्यवस्था किस प्रकार सुचारू रूप से चले। ये कहना अनुचित न होगा कि भारत में गणतंत्र के 6 दशक बाद भी सुशासन की अवधारणा व्यवहार में नहीं है। अनेकता में एकता की पहचान के लिए भारत में आज सुशासन को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, साम्प्रदायिकता तथा रुढ़िवादिता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक दूरियों के साथ जातिगत और धार्मिक उन्माद भी बढ़ा है। 20वीं सदी के अन्तिम दशकों में राजनैतिक अस्थिरता, क्षैत्रीय एवं साम्प्रदायिक दलों के उदय ने राजनैतिक वातावरण को बहुत दूषित किया है जिससे सुशासन को अपने अस्तित्व के लिए अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

■ एस. आर. सिंह (2014)[13], **''पंचायत एण्ड गुड गवर्नेंस''**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बताया है कि 1990 के दशक में भारत में जन आधारित सुशासन के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गयी। बिहार में सर्वप्रथम 2001 में इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए।

आशा थी कि दो मूलभूत उद्देश्यों – (1) गांधी जी के 'ग्राम–स्वराज्य' के स्वप्न को साकार करना तथा (2) पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास को गति देने का साधन बनाना, की शीघ्र पूर्ति होगी। लेकिन इनमें वांछित परिवर्तन नहीं हो पाया क्योंकि जमीनी स्तर (ग्रास रूट लेवल) पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होने वाला सुशासन संतोषजनक नहीं था। दूसरे शब्दों में ''सुशासन'' की स्थापना करना मुख्य लक्ष्य बन गया।

भारत जैसे देश में, विद्वानों की आम राय के अनुसार, 'सुशासन' स्थापित करने हेतु निम्न कार्य करना आवश्यक है –

- पारदर्शिता के साथ सभी सेवाओं को दक्षता के साथ प्रदान करना तथा
- नीति–निर्माण व कार्यान्वयन के सभी चरणों में आम–जन की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करना।

वर्तमान बिहार सरकार द्वारा सुशासन के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं को और प्रभावी बनाने हेतु अनेक कदम उठाये जा रहे है तथा इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। राज्य में विकास की गति बढ़ी है किन्तु ग्रामीण बिहार के सामाजिक व राजनैतिक विकास हेतु सिर्फ आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। अतः ग्रामीण बिहार में सुशासन लाने की आवश्यकता है। 'सुशासन' के कुछ मुख्य अवयव (अंग) निम्न प्रकार से है :–

1. दक्ष, 2. पारदर्शी, 3. संवेदनशील, 4. प्रभावी, 5. सहभागी, 6. जवाबदेह, 7. न्याय–प्रिय (कानून का शासन) एवं 8 भ्रष्टाचार मुक्त शासन

यह भी तर्क दिया जाता है कि जब तक आमजन में जागरूकता नहीं होगी और उन्हें सूचनाएँ प्राप्त नहीं होंगी, वे प्रशासन की प्रक्रिया में अपेक्षित सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में जब तक आमजन की प्रशासन में सहभागिता नहीं होगी, 'सुशासन' स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य से

इन्कार नहीं किया जा सकता कि 'सुशासन' एवं वास्तविक लोकतांत्रिक शासन – जमीनी स्तर (ग्रास रूट लेवल) से ही शुरू होते हैं।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सभी तीनों श्रेणियों के कार्य–कलापों व वित्तीय व्यवस्थाओं को प्रतिपादित किया गया है।

वास्तविक कार्य प्रणाली एवं वित्तीय व्यवस्थाओं के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं आ सकते जब तक कि पंचायत स्तर पर सुशासन सुनिश्चित नहीं हो।

इस संदर्भ में निर्वाचित प्रतिनिधि एवं नामित (पदस्थापित) कार्यपालकों को कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना पड़ेगा तथा जनता के प्रति जवाबदेही निभानी पड़ेगी। आमजन के विचारों व दृष्टिकोण को शासन–प्रणाली में सुनना सुनिश्चित करना होगा।

अगर हम पचांयती राज संस्थाओं की संरचना को देखें तो इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किये जाते हैं :–

1. आम–जन की सहभागिता के अवसर
2. कमजोर वर्गों की सहभागिता
3. पारदर्शिता
4. संवदेनशीलता
5. प्रशासन व सेवा–वितरण में जवाबदेही

- डॉ. योगेश नरेलिया (2013)[14], **''सूचना का अधिकार लोकतंत्र का सशक्त हथियार है''**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने बताया है कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए पहला मूल मंत्र शासन में जन–सहभागिता है। जन सहभागिता न केवल शासन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करती है बल्कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य भी करती है। जनसहभागिता के लिए अन्य उपायों के साथ–साथ एक प्रभावी उपाय यह है कि

एक ऐसी व्यवस्था या विधि हो जिसके माध्यम से आम जन अथवा भारतीय नागरिक किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संस्था से सूचना प्राप्त कर सके। यह इसलिए भी आवश्यक है कि एक लोककल्याणकारी राज्य में शासन जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार स्वस्थ लोकतंत्र की सफलता के लिए महत्ती आवश्यकता है। शासन के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में से न्यायपालिका को ही विधियों की सांविधानिकता का परीक्षण और निरसन का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार, व्यक्ति को असीम अधिकार नहीं देता वरन् राष्ट्र हित में सूचनाओं के प्रकटन पर प्रतिबंध भी लगाता है। यह अधिनियम सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदत्त करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम अपने आप में कोई समाधान नहीं है बल्कि यह समाधान की दिशा में पहला कदम है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के कारण लंबित पड़े कार्य तुरंत निपट दिए गए अथवा कार्य ने गति पकड़ ली। हमारे देश में जहां सरकार और जनता के बीच एक लंबी दूरी है। वहां सूचना का अधिकार कानून आश्चर्यजनक ढंग से इस दूरी को कम करने का काम कर रहा है। अतः कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का सशक्त हथियार है।

■ उमा शर्मा (2013)[15], **भ्रष्टाचार निवारण के लिए सूचना का अधिकार**

प्रस्तुत लेख में दर्शाया है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा है। साथ ही आप के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आप नौकरशाह भी अपनी पत्रावली पर नोटिंग करने से पूर्व यह सोचता है कि इसकी प्रति सूचना के अधिकार के तहत् मांगी जा सकती है तो कहीं उसकी जिम्मेवारी तो निर्धारित नहीं हो जाएगी। आज नौकरशाह जो निरंकुश होता जा रहा था अब वास्तव में लोकसेवक की भूमिका निभाने लग गया है, इस अधिनियम के लागू होने से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता बनी है, नौकरशाहों में जवाबदेही बढ़ी है तथा नौकरशाह उत्तरदायी भी बने हैं इससे जनता में नवजागृति

का स्फुरण हुआ है एवं जनता काफी सजग हो गई है। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी संपत्तियों का सार्वजनिकरण से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ग्राम सभाओं (बोर्डों) निगमों, नगरपालिकाओं द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतियां प्राप्त होने से जवाबदेही बढ़ी है, जनप्रतिनिधियों में चेतना आई है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है अतः आने वाले समय में सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ होगा तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

- डॉ. रमेश सी. श्रीवास्तव, (2013)[16], **''गुड गवर्नेस एशनसियलस प्रिंसिपल्स''**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने बताया है कि सुशासन लोगों के कल्याणकारी हितों को पूर्ण करने में बहुत अधिक सहायता प्रदान कर सकता है। सुशासन के प्रमुख आधार हैं प्रशासकों का व्यक्तियों के साथ संपर्क, न्यायिक प्रवृत्ति, जनता एवं उनके मामलों के साथ पक्षपातरहित व्यवहार करना, संवदेनशीलता एवं उत्तरदायित्व की भूमिका, सामान्य जन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रयास, लोगों को सुरक्षा एवं सम्मान देना है। इसी के साथ–साथ सुशासन का एक प्रमुख उद्देश्य विकास का वातावरण तैयार करना है एवं सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि करना है।

- आर.के. चौबीसा एवं नरेश कुमार रावत (2013)[17], **''सुशासन के बढ़ते कदम : राजस्थान में जनसुनवाई का अधिकार''**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने दर्शाया है कि सुशासन में सरकार के तीन प्रमुख लक्षण हैंः पारदर्शी, जवाबदेही एवं उत्तरदायी सरकार, ये तीनों ही लोकतांत्रिक सरकार का मूलाधार है। सरकार मुख्यतः जनता के लिए कार्य करती है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं सामान्य सेवाएं प्रदान करती हैं। ये सेवाएं नागरिक केन्द्रित होने के कारण नागरिक द्वारा बहुतायात में प्राप्त की जाती हैं राज्य से नागरिकों की अपेक्षाएँ बढ़ने के कारण राज्य की भूमिका अब मुख्यतः सेवा प्रदाता हो गई हैं। आज लोक संगठन निजी क्षेत्र की भांति आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों की प्रभावी और समयबद्ध रीति से उनके निकटतम स्थानों पर सुनवाई निश्चित करने के लिए यह अधिनियम एक प्रभावी प्रणाली की

स्थापना का प्रावधान करता है। इससे राज्य की जनता के कार्यों के प्रति प्रशासन में सक्रियता आयेगी। साथ ही जनता अपने कार्यों को कराने के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में भी अफसर से जानकारी ले सकेगी। संवेदनशील प्रशासन देने की पहल के रूप में राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। सुनवाई का हक मिलने पर जनता में आत्म विश्वास जागेगा। शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा व अभाव अभियोगों में कमी आएगी। प्रशासनिक व्यवस्था जनोन्मुखी बनेगी। प्रशासन को हर स्तर पर अधिक निगरानी व मॉनिटरिंग करनी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों को अब अपना रवैया बदलना होगा। उन्हें जनता के कार्यों के प्रति संवेदी रूख अपनाना आवश्यक है। सुशासन की और राज्य का यह अनूठा प्रयोग है। जिससे प्रेरित हो सकेंगे। पूरे देश में किसी राज्य ने ऐसा कानून नहीं बनाया है। नागरिक केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ता हुआ राजस्थान निःसन्देह अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने इसे फ्लेगशिप कार्यक्रम का दर्जा प्रदान कर इस विधान के लोकतांत्रिक महत्व एवं जनउपयोगिता को और बढ़ा दिया है।

- शीला राय (2012)[18], **''ट्रांन्सपरेन्सी एण्ड एकाउन्ट विलिटी इन गवर्नेंस एण्ड राइट टू इन्फॉरमेशन इन इण्डिया''**

प्रस्तुत लेख में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न पहलुओं से हुए विकास को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार को विकास की गति में रूकावट बताया है। सूचना के अधिकार को सुशासन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास बताते हुए इसे साधारण लोगों के लिए असाधारण एवं प्रभावी यंत्र कहा गया है। सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय एवं राज्यीय पक्ष पर प्रकाश डालते हुए राजस्थान में इस अधिकार को प्राप्त करने हेतु संघर्षों एवं जनसुनवाई के महत्व को बताया गया है। लेख में सूचना के अधिकार को शासन के सभी स्तरों तक पहुंचाने में सिविल सोसाइटी की भूमिका को महत्वपूर्ण स्पष्ट करते हुए अधिनियम को सहभागी शासन स्थापित करने में आवश्यक कदम बताया गया है,

जिससे भारत के विकास एवं सुशासन की दिशा का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी।

- कुमार, सी. राज (2012)[19], **''करप्शन एण्ड ह्यूमन राइट्स इन इण्डियाः कम्परेटिव परस्पेक्शन ऑन ट्रांसपरेन्सी एण्ड गुड–गवर्नेंस''**

प्रस्तुत लेख में भारत में भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या पर प्रकाश डालते हुए इसे विकास में रूकावट एवं मानवाधिकारों के लिए खतरनाक बताया गया है। भ्रष्टाचार न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक एवं नौकरशाही की संरचनाओं में भी शामिल है। इस पुस्तक में मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा दक्षिण एशिया के विकासशील देशों एवं उसके परिणामों का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भारत में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए विभिन्न नियमों तथा अधिनियमों पर प्रकाश डालते हुए इसमें भविष्य के लिए भ्रष्टाचार के निवारण पर सुझाव तथा सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं। इसके साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता/खुलापन/सुव्यवस्था एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार एवं केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोगों की भूमिकाओं को भी वर्णित किया गया है। यह पुस्तक, वकीलों, नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पत्रकारों, कानूनविदों एवं रा. विज्ञान एवं समाज शास्त्र के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

- सुनील महावर (2012)[20], **''भारत में सुशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं : भूमिका, संभावनाएं और चुनौतियां''**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने बताया है कि भारत के राजनीतिक प्रशासनिक विमर्श में पिछले कुछ समय से सुशासन अवधारणा ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। यह सरकार से व्यापक रूप में प्रयुक्त अवधारणा है। जिसके व्यावहारिक क्रियान्वयन हेतु न केवल सरकार के तीनों अंग–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वरन् नागरिक समाज संगठनों एवं स्वयं नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहा जा सकता है कि सुशासन एक नागरिक केंद्रित अवधारणा है जो

अपना संपूर्ण ध्यान जनकल्याण पर केंद्रित कर उसे वास्तविक रूप में प्राप्त करने हेतु जनभागीदारी के साथ शासन कर्मियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। यह अपेक्षाकृत नवीन संकल्पना है तथापि राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में यह अवधारणा प्राचीन समय से ही प्रयुक्त होती रही है। सूचना प्राप्ति का अधिकार लोकतांत्रिक भागीदारी का एक अहम् माध्यम माना गया है। आज के युग में न सिर्फ एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक विशेषाधिकार है बल्कि किसी भी देश में अच्छे शासन को स्थापित करने की आवश्यक शर्त भी है। पंचायती राज संस्थाएं सुशासन की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से भारत में निम्न स्तर से केंद्रीय स्तर की और सुशासन में अभिवृद्धि/विकास/पोषण किया जा सकता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य उज्जवल एवं संभावनाओं से परिपूर्ण है। राज्य सरकारों द्वारा जिस तरह से कदम उठाये जा रहे हैं उनसे अब धीरे–धीरे पंचायती राज संस्थाओं में जनभागीदारी में वृद्धि हो रही है। स्थानीय निवासी शासन में अपनी भूमिका को समझने लगे हैं। अतः पंचायती राज संस्थाएं ही वे निकाय हैं जो भारत में सुशासन को व्यावहारिक एवं इसकी स्थापना को संभव बना सकती है।

- सी. राव कुमार (2012)[21], **करप्शन एण्ड ह्यूमन राइट्स इन इण्डियाः कम्परेटिव परस्पेक्शन ऑन ट्रांसपरेन्सी एण्ड गुड गवर्नेंस**

प्रस्तुत पुस्तक में भारत में भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या पर प्रकाश डालते हुए इसे विकास में रूकावट एवं मानवाधिकारों के लिए खतरनाक बताया गया है। भ्रष्टाचार न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक एवं नौकरशाही की संरचनाओं में भी शामिल हैं। इस पुस्तक में मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा दक्षिण एशिया के विकासशील देशों एवं उसके परिणामों का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भारत में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए विभिन्न नियमों तथा अधिनियमों पर प्रकाश डालते हुए इसमें भविष्य के लिए भ्रष्टाचार के निवारण पर सुझाव तथा सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता, खुलापन, सुव्यवस्था एवं

उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार एवं केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोगों की भूमिकाओं को भी वर्णित किया गया है। यह पुस्तक वकीलों, नीति निर्माताओं, सा. कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, कानूनविदों एवं रा. विज्ञान एवं समाजशास्त्र के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।

- **फोर्म रिजर्वेशन टू पार्टिसिपेशनः**(2012)[22], **कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वूमेन रिप्रजेन्टेटिवस एण्ड फंक्शनरीज ऑफ पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स ए रिपोर्ट**

73 वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण मिला, जिसके द्वारा लाखों महिलाओं का निर्वाचन ग्राम, क्षेत्र तथा जिला स्तर पर हुआ। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में आरक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी परंतु यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकी है क्योंकि महिलायें चुनी तो जाती हैं पर उनका अस्तित्व नाम मात्र का ही रह जाता है क्योंकि कुछ सामाजिक बंधनों का हवाला देते हुए सभी कार्य उनके पति या ससुर द्वारा सम्पन्न होते हैं। इससे पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका नगण्य रह जाती है। यह अध्ययन महिलाओं को उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने, पंचायत की कार्य प्रक्रिया को समझने एवं अपने क्षेत्र में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के संबंध में है। यह अध्ययन में 10 राज्यों के चुने हुए जिलों में निर्वाचित महिलाओं की कार्यक्षमता, सहभागिता, जागरूकता तथा जानकारी बढ़ाने के संबंध में है। सिविल सोसाइटी के योगदान से महिलाओं के प्रति वोट देने के संबंध में जागरूकता, महिला नेताओं को समर्थ बनाना, महिलाओं से जुड़े संगठनों को बढ़ावा देना, ग्राम सभाओं को क्रियाशील बनाना एवं सूचना तंत्र को मजबूती प्रदान करना इत्यादि इस अध्ययन के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, महिला संगठनों द्वारा सहायता करना एवं प्रशासन द्वारा उचित सहायता एवं समर्थन प्रदान करना, जिससे न केवल चुनी गई महिलाएं भी

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग हो सके और अपने कल्याणार्थ इनका प्रयोग कर सके।

- निर्मला सिंह एवं विनिता सिंह(2012)[23], **राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण**

प्रस्तुत लेख में लेखिकाओं ने राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला है। पुस्तक में लेखिकाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों एवं सेमीनारों में प्रस्तुत शोधपत्रों का संकलन है जो राजस्थान पंचायती राज की संरचना, विकास तथा स्थानीय स्वशासन स्तर पर महिला राजनीतिक सहभागिता, राजस्थान में सूचना का अधिकार, मतदान व्यवहार एवं महिला सशक्तिकरण विषयों पर आधारित है। पुस्तक में लेखिकाओं ने पंचायती राज में बढ़ते महिला नेतृत्व को विवेचित करते हुए, उनकी भूमिका के व्यावहारिक स्वरूप का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

- चेतना सिंह(2012)[24], **पंचायती एक्ट एण्ड ग्रास रूट लीडरशिप इन डिसेन्ट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी**

प्रस्तुत लेख में लेखिकाओं ने मध्यप्रदेश में पंचायती राज के विकास के विविध आयामों को विवेचित किया है। लेखिका ने राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पंचायती राज का उद्‌भव एवं विकास पंचायती राज का संरचनात्मक ढांचा, आरक्षण नीति का पंचायती राज पर प्रभाव पंचायती राज संस्थानों में जेण्डर मुद्दे, पंचायतों द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण, पंचायतों में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का उल्लेख किया है।

- एण्ड्रयू जे. डूबीन(2012)[25], **लीडरशिपः रिसर्च फाइंडिंग (प्रेक्टिस एण्ड स्किल)**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने नेतृत्व पर प्रकाश डाला है। पुस्तक प्रमुख रूप से नेतृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है जो कि नेतृत्व की शैली को सीखने पर बल देती है। लेखक के अनुसार प्रत्येक नेता की कार्य करने तथा अधीनस्थों को प्रभावित

करने की अलग–अलग शैली होती है। कोई कार्य लक्ष्य अभिप्रमुख है तो कोई व्यक्ति अभिमुख। किसी में नैतिक रोष होता है तो किसी के स्वभाव में शांति होती है। कोई अधीनस्थों के स्वभाव को जानता है और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है तो कोई सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलता है। नेतृत्व की दृष्टि से शैलियों पर वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक तरीके से शोध एवं अभ्यास के द्वारा ही विकसित की जा सकती है।

■ सुरेन्द्र मुंशी, बीजू पॉल अब्राहम, सोमा चौधरी(2011)[26], **सुशासन**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बताया है कि उभरते हुए विश्व की वास्तविकता के समायोजन के साथ जहां विभिन्न समाजों में अच्छा शासन तंत्र अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है वहीं अच्छे शासन तंत्र का व्यवस्थापन अपने आप में जर्जर एवं दुर्बल प्रतीत होता है। इस समय इसे सुधारने की आवश्यकता है। प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न सम्बद्ध प्रश्नों के एकीकृत समाधान को प्रस्तुत करते हुए शासन तंत्र पर इसके स्वदंडनीय संकीर्ण परिप्रेक्ष्य से परे चर्चा की गई है। उदारणार्थ राज्यों की भूमिका या सभ्य समाज का विचार। एक प्रवाही संकल्पना का स्पष्ट विश्लेषण करते हुए यह पुस्तक विषय को समझने हेतु संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक का केन्द्रीय भाव है कि सुशासन का कोई भी महत्वपूर्ण विषय राज्य या बाजार के भरोसे मात्र से परे होना चाहिए और सार्वजनिक सहभागिता को सम्मिलित करते हुए साझेदारी के अलग तरीके खोजने चाहिए वर्तमान संकट में उपयुक्त और सच हैं। यह पुस्तक उन सबके लिए रोचक सिद्ध होगी जो शासन से संबंधित विषयों में दिलचस्पी रखते हैं। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन प्रशासन और वाणिज्य क्षेत्र के विद्यार्थियों और शोध छात्रों के लिए उपयोगी होगी।

■ कामेश्वर दयाल (2011)[27], **फ्रीडम ऑफ प्रेस एण्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन**

प्रस्तुत पुस्तक में प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार से जुड़ी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इनकी समाज में भूमिका, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की पारदर्शिता एवं मीडिया की पारदर्शिता एवं मीडिया पूर्वाग्रह समाचार

मीडिया की शक्ति, स्वैच्छिक विनियमन, पत्रकारिता आदि पर प्रकाश डालते हुए सूचना के अधिकार का वैश्विक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। सूचना के अधिकार के पर्याय का वर्णन करते हुए इसे वर्तमान समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है। क्योंकि इस अधिनियम से आमजन सरकारी कार्यकलापों सूचना प्राप्त कर सकेंगे जो नीति या निर्णय उन्हें प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही यह पुस्तक नवोदित पत्रकारिता,मास मीडिया के क्षेत्र में अनुभवी पेशेवरों के लिए उपयोगी होगी।

- रमेश एच. मैकवाना(2011)[28], **ट्राईबल विमैन लीडरशिप इन पंचायत**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने महिला नेतृत्व की दृष्टि से 73 वां संविधान संशोधन को एक महत्वपूर्ण कदम माना है,साथ ही पंचायती राज संस्थान को देश के लिए जड़ बताया है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण अचानक नहीं आया अपितु इसके लिए संविधान में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 73 वां संविधान संशोधन ने महिलाओं को सुअवसर प्रदान किया कि वे सक्रिय रूप से ग्राम पंचायत के लिए निर्णय ले सके। साथ ही लेखक ने कहा कि राजनीतिक दलों के द्वारा महिलाओं के लिए चुनाव, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में सीट आरक्षित की जानी चाहिए।

- निर्मला सिंह एवं दिव्या सिंह(2011)[29], **महिला नेतृत्व एवं महिला सशक्तिकरण**

प्रस्तुत लेख में महिला नेतृत्व एवं महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला है। लेखिकाओं ने टोंक जिले की महिला सरपंचों के अध्ययन को रेखांकित किया है। साथ ही महिला नेतृत्व एवं महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार, परिवार का सहयोग, संकुचित दृष्टिकोण में बदलाव, ग्रामीण योजनाओं की जानकारी, शिक्षा का विकास, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक जागरूकता आदि की सुविधा प्रदान करने से है।

- शैलेन्द्र मौर्य(2011)[30], **महिला राजनीतिक नेतृत्व एवं महिला विकास**

प्रस्तुत पुस्तक में महिला विकास एवं राजनैतिक नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने पुस्तक में राजस्थान राज्य में महिला राजनीतिक नेतृत्व के विकास क्रम को ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया है। राज्य विशेष रूप से प्रदेश सरकार द्वारा महिला विकास की दिशा में संचालित नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। साथ ही महिला नेतृत्व के समान उपस्थित बाधाओं एवं चुनौतियों का समाधान भी रेखांकित किया है।

- जोजफ बनश्री(2011)[31], **कैपब्लिटी ऑफ इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेन्टेटिव ऑन जेन्डर इश्यूज इन ग्राससरूट गवर्नेन्स**

प्रस्तुत पुस्तक महिला प्रतिनिधित्व पर आधारित है। पुस्तक में ग्रामीण स्तर के प्रशासन में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति को भी रेखांकित किया गया है। पुस्तक में चयनित महिला प्रतिनिधियों के कार्यों में लैंगिक मुद्दे के प्रभाव को भी प्रकाश में लाया गया है।

- डॉ. सुनील गुप्ता, डॉ. कमलकिशोर सिंह (2011)[32], **सुशासन : उद्‌विकास, संकल्पना, अनुप्रयोग एवं अन्य सम्बन्धित अवधारणाएँ**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बताया है कि 'सुशासन' वर्तमान समय में एक सुसंगतपद है। भारत ही नहीं, समस्त विश्व में सुशासन की अवधारणा परवान चढ़ रही है। एक आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में सुशासन की अपेक्षा रखता है और इसी की कामना करता है। किसी भी शासन प्रणाली में सुशासन के अपने फायदे है। 'सुशासन' कोई नई तकनीक नहीं है, न नया पद; यह तो आदिकाल से चला आ रहा शासन का वह दर्शन है जिससे राज्य का काम सुचारू रूप से संचालित होता है और नागरिक बिना भय या परेशानी के अपना दैनिक जीवन आनन्दपूर्वक गुजारता है। विश्व में चाहे अन्य विषयों पर शासन या सरकार के मतैक्य भले न हो सुशासन को लेकर पूरे विश्व में कहीं कोई शंका संदेह नहीं है।

आखिर इसके दर्शन, ध्येय और लक्ष्य के अंतर्गत आम नागरिक का हित समाया हुआ है। लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही गणतांत्रिक, राजतंत्रीय या तानाशाही प्रणाली में भी है। यह पुस्तक सुशासन की सामान्य अवधारणा को सुस्पष्ट करने व उसके सारतत्त्व को पाठक के समक्ष रखने का एक प्रयास भर है। इसमें सुशासन की संकल्पना, मूलतत्त्व, उद्‌भव व अवधारणात्मक विकास के साथ ही प्रजातंत्र, लोक भागीदारी, सभ्य समाज और वैश्वीकरण तक पर सुशासन के संदर्भ में विचार किया गया है।

- वर्षा राजोरा (2010)[33], **टेकलिंग करप्शन थ्रू आर.टी.आई.: ए बेस फॉर गुड गवर्नेस**

प्रस्तुत लेख में सुशासन को आधारभूत आवश्यकता मानते हुए सूचना के अधिकार को भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में सार्थकता को बताया गया है। इसमें सरकार तथा अमजन पर भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव को स्पष्ट करते हुए यह बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा हजार करोड़ रूपये की सरकारी योजनाओं जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार एवं विकास से जुड़े हैं, पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसका लाभ अपेक्षित आमजन को नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार का प्रशासन के सभी स्तरों पर फैला होना है। आजकल मीडिया, समाचार पत्रों में केवल भ्रष्टाचार के ही मुद्दे छाये हुए हैं। भ्रष्टाचार ही केवल सुशासन के विकास में बाधक नहीं है बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वता का अभाव भी इसके प्रमुख कारक माने जा सकते हैं। भ्रष्टाचार निवारण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सुशासन लाने की दिशा में प्रयास मिलकर करना होगा एवं प्रशासन के सभी स्तरों को जिम्मेदार, उत्तरदायी, पारदर्शी विकेंद्रित तथा जनहितकारी बनाना होगा। इसके साथ ही प्रशासन से जुड़े सभी स्तरों के कार्यों में खुलापन अर्थात् सभी नीति निर्णयों एवं कार्यवाहियों की जानकारी आमजन को प्रदान करना, स्वतः प्रकटीकरण को बढ़ावा देना होगा। जिससे सूचना के अधिकार को लागू करने के लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके इसके साथ ही सूचनाधिकार के

अंतर्गत लोकसूचना अधिकारियों द्वारा समय पर सूचना प्रदान करना एवं जनहित से जुड़ी सूचनाओं को जन–जन तक पहुंचाना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे आमजन सूचना के अधिकार का प्रयोग अपने हित में कर सके। इसके लिए सरकार के साथ मीडिया तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस अधिनियम से संबंधित जानकारी तथा जागरूकता फैलानी होगी, जिससे आमजन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके एवं प्रशासन में सहयोगी की भूमिका निभा सके। अंत में इस लेख में सूचना के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में अधिनियम में सुधार एवं प्रशासन में सुधार से संबंधित सुझावों को प्रस्तुत करते हुए सुशासन लाने से संबंधित सिफारिशों एवं सुझावों का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। जिससे सूचना का अधिकार अपने सफलतम अस्तित्व को प्राप्त करने में सफल हो सके।

■ राजवीर एस. ढाका (2010)[34], **राइट टू इन्फॉरमेशन एण्ड गुड गवर्नेन्स**

प्रस्तुत पुस्तक राइट टू इन्फॉरमेशन एण्ड गुड गवर्नेंस में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए इसे लोकतंत्र को सार्थक तथा आमजन की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण यंत्र बताया गया है। जिससे पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, सहभागी एवं जवाबदेहिता से युक्त लोकतांत्रिक शासन बनाया जा सके। सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाएगा। व्यवहारिक शासन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र को दुरस्त बनाना है, जिससे आमजन सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में चल रही व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सके एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बनी रहे। पुस्तक में केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार के प्रशासन को भी जवाबदेह एवं भागीदार बनाने के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा सार्वजनिक शक्तियों के मनमाने व्यवहार के खिलाफ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार एक निवारक यंत्र के समान कार्य करता है। पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिदृश्य में सूचना का अधिकार का विश्लेषण एवं मूल्यांकन को व्यापक रूप

से बताया गया है। सूचनाधिकार अधिनियम की विशेषताओं, कमियों तथा सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए लोक सूचना अधिकारियों एवं सूचना आयोगों की जिम्मेदारियों को बताया गया है। इसके साथ ही अपील करने तथा सूचना न प्राप्त होने पर पुनः अपील करने से सम्बन्धित तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। सूचना के अधिकार के क्रियान्वन में आने वाली बाधाओं पर विस्तार से बताते हुए इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

■ एस.के. कटारिया (2010)[35], **राइट टू इन्फॉरमेशनः लेशन एण्ड इम्पलीकेशन्स**

प्रस्तुत पुस्तक में सूचना को लोकतंत्र का प्रचलन तथा ऑक्सीजन के समान बताया गया है। लोकतंत्र की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब मानवाधिकारों को प्रभावी बनाने की सूचना एवं विचारों की स्वतंत्रता आमजन को प्राप्त होगी, क्योंकि सूचना का अधिकार सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण हथियार के समान है। यह अधिकार सुस्त प्रशासन को भी चुस्त करेगा। पुस्तक में सूचना के अधिकार को भारतीय लोकतंत्र के लिए ''मैग्नाकार्टा'' के समान कहा गया है। यह पुस्तक न केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में बल्कि संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार के प्रावधानों का मूल्यांकन करती हैं। सूचना के अधिकार का अर्थ एवं सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए इस अधिनियम को लागू करने से संबंधित आंदोलनों एवं संघर्षों पर प्रकाश डाला गया हैं। सूचना के अधिकार से संबंधित सफलताओं के मामलों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार में सूचना के अधिकार की भूमिका एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट का भी वर्णन किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार प्रस्तुत पुस्तक में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए इसे लोकतंत्र को सार्थक तथा आमजन की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण यंत्र बताया गया है। जिससे पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, सहभागी एवं जवाबदेहिता से युक्त लोकतांत्रिक शासन बनाया जा सके। सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग

सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जायेगा। व्यावहारिक शासन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र को दुरस्त बनाना है। जिससे आमजन सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में चल रही व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सके एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बनी रहे। पुस्तक में केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार के प्रशासन को भी जवाबदेह एवं भागीदार बनाने के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा सार्वजनिक शक्तियों के मनमाने व्यवहार के खिलाफ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार एक यंत्र के समान कार्य करता है। पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिदृश्य में सूचना का अधिकार का विश्लेषण एवं मूल्यांकन को व्यापक रूप से बताया गया है। सूचनाधिकार अधिनियम की विशेषताओं, कमियों तथा सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए लोक सूचना अधिकारियों एवं सूचना आयोगों की जिम्मेदारियों को बताया गया है। इसके साथ ही अपील करने तथा सूचना न प्राप्त होने पर पुनः अपील करने सं संबंधित तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं पर विस्तार से बताते हुए इस अधिनियम को भविष्य में प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों के अधिकार के अर्थ एवं आशय को स्पष्ट करते हुए इससे संबंधित भविष्य के दिशा निर्देशों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही लेखक द्वारा लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सूचनाधिकार से सम्बन्धित अनुभवों को भी शामिल किया गया है।

■ विजय प्रकाश श्रीवास्तव(2010)[36], **नेतृत्व के आयाम**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने नेतृत्व के आयामों का उल्लेख किया है नेतृत्व के आयामों को समझकर इन्हें अपने जीवन में स्थापित कर बदलाव लाया जा सकता है। लेखक ने कहा कि नेतृत्व को आदर्श होना है तो इसे नैतिकता पर आधारित होना है। नेतृत्व का एक आयाम यथार्थ है। नेतृत्व को यथार्थ पर आधारित होना

चाहिए। साहस मानवीय गुणों में सर्वोपरी है। लेखक के अनुसार नेतृत्व को विकास केन्द्रित होना चाहिए।

■ जगबीर कौशिक(2010)[37], **ग्रामीण भारत के चतुर्विध विकास की पहल**

प्रस्तुत लेख बजट 2010–11 पर प्रकाश डालता है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2010–11 का जो बजट था वह वर्तमान परिस्थितियों के एकदम अनुकूल है। मंदी के दौर में जो खोया है उसे पाने में वक्त लगेगा ही। इसके साथ ही वित्तीय हालात को सुधारने के लिए भी बहुत कुछ करना। इसके अलावा सरकार की अपनी प्राथमिकताएं भी हैं। उसे सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना है।

■ अखिलेश चन्द्र यादव(2010)[38], **बदलते गाँव, उभरता देश**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने ग्रामीण विकास पर प्रकाश डाला है। वास्तव में आजादी के बाद भारत का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चूंकि भारत की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है, इसलिए सरकार की यह कोशिश रही है कि सबसे पहले गांवों का विकास किया जाना चाहिए। जब तक ग्रामीण खुश नहीं रहेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। यदि गांवों के विकास की गति इसी तरह चलती रही तो सन 2020 तक भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच होगा।

■ शोभा नाटाणी(2010)[39], **भारतीय समाज और नारीः दशा एवं दिशा**

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय समाज में नारी के स्थान पर प्रकाश डालता है। भारतीय समाज और नारी यह पुस्तक नारी की दिशा और दशा दोनों पहलुओं को दर्शाते हुए नारी के प्रति पहलु का वर्णन करती है। आधुनिक भारत में नारियों की शिक्षा का पर्याप्त विकास हो गया है किन्तु इस पुरूष प्रधान समाज में आज की नारी को बराबरी का दर्जा देने में सुगबुगाहट है। यही नहीं समाज की रूढ़िवादी, परम्परावादी एवं कम पढ़ी–लिखी नारियों के विचारों में कुछ विशेष परिवर्तन आज भी नजर नहीं आता है।

■ प्रतापमल देवपुरा(2010)[40], **आर्थिक स्वावलम्बन से होगी महिलाएं सशक्त**

प्रस्तुत लेख महिला नेतृत्व क्षमता एवं सशक्तिकरण पर आधारित है। पंचायतों में एक तिहाई पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 73 वें संविधान द्वारा किया गया है। कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं में स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की जाए, जिससे केवल महिलाओं का कल्याण ही नहीं होगा बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। महिलाएं जब तक अपनी क्षमता, शक्ति व आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक कोई बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं कर सकता।

■ उमर फारूकी(2010)[41], **महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका**

प्रस्तुत लेख महिला सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका पर प्रकाश डाला है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को पहले 33 फीसदी और अब 50 फीसदी आरक्षण देने से राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। अब वे न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं बल्कि समाज के हित में वाजिब फैसले भी ले रही हैं।

■ अंशु, आशीष कुमार(2010)[42], **सूचना मांगने वाले खुद भी पारदर्शी बने**, इण्डिया फाउन्डेशन फॉर रूरल डवलपमेन्ट

प्रस्तुत लेख में सूचना अधिकार के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया द्वारा अपना पन्ना (सूचना अधिकार की मासिक पत्रिका) के माध्यम से अधिनियम की लोकप्रियता और इसके मार्ग में बाधा को लेकर किए गए सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है। इस सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि किस प्रकार मीडिया ने चाहे वह प्रिन्ट मीडिया (अखबार, पत्रिका) या टी.वी., रेडियो के माध्यम से सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी हासिल कर आमजन के हित में कार्य कर सके। इसके साथ ही स्वयं से संस्थाओं की भूमिका भी सराहनीय थी। सर्वेक्षण में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि पारदर्शिता, तथा जवाबदेहिता केवल कानून से नहीं आएगी जिसकी उम्मीद हम

सरकार से करते हैं बल्कि पारदर्शिता उन संगठनों तथा व्यक्तियों को अपने जीवन, व्यवहार और कामकाज में भी लाना चाहिए जिससे वे आमजन का विश्वास जीत पाने में सफल हो पायेंगे। सूचना के अधिकार से संबंधित मामलों का भी वर्णन करते हुए जनता की जागरूकता तथा जानकारी को महत्वपूर्ण बताया गया है। अतः कहा जा सकता है कि पर्याप्त प्रचार प्रसार के तथा जन जागरूकता से ही इसका औचित्य सिद्ध हो सकेगा। सुशासन वर्तमान समय में एक सुसंगत है, भारत ही नहीं, समस्त विश्व में सुशासन की अवधारणा परवान चढ़ रही है। एक आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में सुशासन की अपेक्षा रखता है और इसी की कामना करता है। किसी भी शासन प्रणाली में सुशासन के अपने कायदे हैं। सुशासन कोई नई तकनीक नहीं है, न नया पद, यह तो आदि काल से चला आ रहा शासन का वह दर्शन है जिससे राज्य का काम सुचारू रूप से संचालित होता है। विषय में चाहे अन्य विषयों पर शासन या सरकार में मतैक्य भले ना हो सुशासन को लेकर पूरे विषय में कोई संदेह नहीं है। आखिर इसके दर्शन, ध्येय और लक्ष्य के अंतर्गत आम नागरिक का हित समाया हुआ है। लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही गणतांत्रिक, राजतंत्रीय या तानाशाही वाली प्रणाली में भी। यह पुस्तक सुशासन की सामान्य अवधारणा को सुस्पष्ट करने व उसके सार तत्व को पाठक के समक्ष रखने का प्रयास भर है। इसमें सुशासन की संकल्पना, मूल तत्व, उद्‌भव व अवधारणात्मक विकास के साथ ही प्रजातंत्र, लोकभागीदारी सभ्य समाज और वैश्वीकरण तक पर सुशासन के संदर्भ में विचार किया गया है।

- शुभब्रात दत्त(2009)[43], **डेमोक्रेटिक, डिसेन्ट्रलाईज्ड एण्ड ग्रासरूट लीडरशिप इन इण्डिया**

प्रस्तुत पुस्तक में भारत में लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण एवं ग्रासरूट नेतृत्व की तरफ ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में लेखक ने नेता की आयु, नेता का धर्म नेता की शैक्षणिक स्थिति, नेता की प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय, नेता का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों के साथ–साथ नेता को

संज्ञानात्मक स्तर का भी उल्लेख किया है। अतः पुस्तक में नेताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

- एस. नगेन्द्र अम्बेडकर(2009)[44], **गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड पंचायतीराज एडमिनिस्ट्रेशन चेंज**

प्रस्तुत आलेख एक अनुभवपरक अध्ययन है जिसमें पंचायतीराज में सुशासन तथा महिला नेतृत्व को केन्द्र में रखा गया है। लेखक ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में सुशासन की अवधारणा राजनीति विज्ञान में परिचर्चा के रूप में उभर कर सामने आई है। विकसित एवं विकासशील देशों ने भी परम्परागत राजनीतिक अवधारणा के बजाय शासन के परिवर्तित नवीन रूप सुशासन की धारणा को अत्यधिक महत्वपूर्ण धारणा के रूप में स्वीकार किया है। आलेख में सुशासन शब्द को परिभाषित कर लेखक ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक ढांचे की प्रभावशाली क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व बैंक ने अपने दस्तावेज(1992) में **'गवर्नेंस और डवलपमेंट'** में शासन के लिए चार कार्यक्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, जबावदेहिता, सार्वजनिक कानूनी ढांचा, सूचना और पारदर्शिता निर्धारित किए। इसमें लोक प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए नवीन रणनीतियों की भी बात कही है। लेखक ने आलेख में कहा है कि सुशासन शब्द सरकार और नागरिकों के बीच स्वस्थ एवं गुणात्मक संबंध बनाए रखने का प्रतीक है। एक तरह लोक सुशासन क्षेत्र को अपने में समाहित करता है, वहीं दूसरी तरफ इसका संबंध उस लोक क्षेत्र से होता है जहाँ कॉरपोरेट सुशासन की अवधारणा इससे सम्बद्ध होती है। आलेख में लेखक ने कहा है कि प्रशासनिक रणनीतियों में परिवर्तन के अलावा एक बड़ा परिवर्तन शासन की भूमिका में आया है। उनके अनुसार देश में सांविधानिक तथा प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी जाए। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को जिस तरह स्थापित किया गया है उसे गुणवत्ता प्रदान की जाए। इस लेख में इस बात पर भी बल दिया गया है कि वर्तमान समय में सुशासन को पंचायतीराज में किस तरह से कैसे अनुवादित व परिचित करा सकते हैं

इस अध्ययन में पंचायतीराज में सुशासन से संबंधित समस्याओं एवं विचारों को विश्लेषित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के बीकानेर जिले की पंचायतीराज स्तर पर पदासीन महिला नेतृत्व कर्त्रियों से संबंधित है।

- प्रकृति माथुर(2009)[45], **राइट टू इनर्फोमेशन : ए टूल फोर रिर्फोम्स एण्ड गुड गवर्नेंस**

उक्त आलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भूमिका से संबंधित है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकारी कामकाज में पादर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जबावदेहिता को सुनिश्चित करना है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके एवं प्रशासन को जनोपयोगी एवं जनकल्याणकारी बनाया जा सके। शासन का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है तथा यदि जनता के प्रति प्रशासन को पारदर्शी व जबावदेह बना दिया जाए तो दोनों में एक नये संबंध का सूत्रपात होगा। आलेख में **सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रसिद्ध निर्णय को 'सूर्य की किरणें एवं सूर्य के समान' सर्वोत्तम कीटनाशक माना है।** अर्थात् यदि पारदर्शिता होगी, कार्य में खुलापन होगा तो व्यक्ति ईमानदारी से निष्ठा से काम करेगा, जिसमें न कोई पूर्वाग्रह होगा ना ही किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आलेख के अनुसार–स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शायद देश का यह पहला कानून है जो कि आम जनता को केन्द्र में रखकर बनाया गया है। आम जनता या ग्राहक को केन्द्र बिन्दु मानकर निम्न मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कानून का शासन, विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकसेवा सुधार, शासन की आचार संहिता, प्रक्रिया सुधार, शासन की गुणवत्ता का समय–समय पर मूल्यांकन आलेख में स्पष्ट किया गया है। सूचना का अधिकार आलेख में इस बात की भी चर्चा की गई है कि प्रत्येक प्रशासनिक पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह समय–समय पर अपने आप सूचनाओं को जनता को उपलब्ध करवाए चाहे अखबारों, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट द्वारा। आलेख में यह भी बताया गया है कि लगभग 70 देशों ने अब तक इस विषय में (RTI) आर.टी.आई. कानून बनाए हैं जिससे कि गोपनीयता की संस्कृति की बजाय पारदर्शिता की संस्कृति को अपनाया जा सके।

■ ए.पी. सक्सेना (2009)[46], **राइट टू इनफोर्मेशन एक्ट : टूवार्डस गुड–गवर्नेंस**

लेखक द्वारा लिखित उक्त आलेख में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य, उपयोगिता, शासन का जनता पर इसका प्रभाव तथा प्रक्रियात्मक पक्ष का विस्तार से वर्णन किया गया है। आलेख में यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकार यह अधिनियम भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक विधान व लोक प्रशासन के इतिहास में यह अधिनियम **एक मील का पत्थर** है। जिसके द्वारा न केवल वांछित जानकारी प्राप्त की जा सकती है बल्कि आवश्यकतानुसार रिकार्ड व दस्तावेजों का निरीक्षण, रिकार्ड की प्रतिलिपि, नोट्स की प्रति तथा प्रिंट आउट्स भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आलेख में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने वाले अधिकारियों विभागों तथा इस अधिनियम के माध्यम से जनता को जागरूक बनाने तथा इसके अधिकतम सफल प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को भी पुरस्कृत करने के प्रावधानों का भी उल्लेख है। आलेख में नरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में कमियाँ व त्रुटियाँ उजागर करने में उक्त अधिनियम की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया है। आलेख के अंतिम चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण व वित्तमंत्री के बजट भाषण का संदर्भ देकर इस अधिनियम के महत्व को रेखांकित किया गया है। विशेष रूप से आगामी पाँच वर्षों में जैसा कि आलेख में उल्लेख है। यह अधिनियम न केवल सूचना प्राप्त करने का जरिया होगा, बल्कि यह लोक सूचना नीति का आवश्यक अंग होगी तथा इन आंकड़ों की जांच कर इन्हें चुनौती भी दी जा सकेगी ताकि आम जनता इससे सीधे तौर पर जुड़ सके तथा प्रशासनिक सुधारों में सक्रिय योगदान कर सकें।

■ सूर्यनरेन यादव, इन्दु बहल(2009)[47], **गुड गवर्नेंस, इश्यूज चेलेंजेंज एण्ड प्रोसपेक्टस, ग्लोबल विजन**

प्रस्तुत पुस्तक में मूलतः सुशासन एवं इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई है। वस्तुतः सुशासन की अवधारणा विकासशील विश्व में विकास का एक महत्वपूर्ण पैमाना बन गई है। तदनुसार इस पुस्तक में उन सभी मुद्दों व समस्याओं को

समावेशित किया गया है, जिनका शासन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। कानून का शासन उदार लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इसलिए सुशासन मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पुस्तक में लेखकों ने भारत में न्यायिक व्यवस्था की पड़ताल करते हुए इस तथ्य को रेखांकित किया है कि लोकतंत्र, विकास व शासन का भविष्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। प्रशासन में पारदर्शिता, सुशासन व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अत्यंत आवश्यक है। लेखकों ने भारतीय संविधान में निहीत सूचना का अधिकार का अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। वास्तव में भारत में सुशासन को बढ़ावा देने में सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत और चीन में सुशासन से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक की विशेषता है इसके अलावा रंगभेद के पश्चात के दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण इस तथ्य को पुष्ट करता है कि सुशासन व आर्थिक विकास के लिए राजनैतिक हिंसा व अपराध का खत्म होना अत्यन्त आवश्यक है।

- अनिल कुमार ठाकुर, कृष्णानंद यादव (2009)[48], **गवर्नेंस डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेंट**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने विकास को शासन की व्यवस्था की केन्द्रीय अवधारणा माना है। देश में विकास की प्रत्येक अवस्था में शासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक आधारभूत औजार है जिसके द्वारा विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में शासन का महत्वपूर्ण घटक है। यही कारण है कि शासन व्यवस्था में जनकल्याण व आर्थिक विकास का अधिक महत्व है। प्रस्तुत पुस्तक विकास एवं सुशासन से संबंधित शोध पत्रों का संकलन है जिसमें सुशासन, लोकतंत्र एवं विकास का व्यापक अध्ययन किया गया है तथा यह जानने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होकर प्रभावित करती है। इसमें लोकतंत्र एवं आर्थिक विकास, सुशासन, लोकतंत्र एवं वैश्विक विकास, पंचायती राज के संदर्भ में सुशासन, आर्थिक विकास का रामबाण सुशासन, लोकतंत्र व विकास में महिला व कमजोर वर्गों की सहभागिता,

लोकतंत्र व सुशासन द्वारा ग्रामीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुशासन के मुद्दे, लोकतंत्र व विकास में वैश्विक शासन व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, सुशासन का विकास आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

- स्नेहलता कलकल (2009)[49], **ग्रामीण नेतृत्व की उभरती प्रवृत्तियाँ (राजस्थान पंचायती राज महिला प्रतिनिधियों का एक अध्ययन)**

इस शोध ग्रंथ में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में सदस्य तथा अध्यक्षीय पदों पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देना राजनीतिक विकास में एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। जिससे ग्रामीण महिलाओं के जनप्रतिनिधित्व की कल्पना ही नहीं की जाती थी, जिससे वर्तमान महिला नेतृत्व बहुत प्रभावित हुआ है। इस अध्ययन में उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि, इसमें महिला नेतृत्व के क्षेत्र, महिला प्रतिनिधियों की अभिवृत्तियाँ, महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता, रूचि, क्षमता तथा योगदान के साथ–साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अभिवृत्तियों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनकी सम्बद्धता नेतृत्व शैली इसमें पुरूष नेतृत्व से तुलना करते हुए नेतृत्व शैली, नेतृत्व की चुनौतियाँ व ग्रामीण महिला नेतृत्व की कठिनाइयों व पंचायतीराज में पुरूषों महिलाओं के नेतृत्व में मौलिक अंतर (क्षेत्र शैली एवं प्रभावशीलता) को स्पष्ट किया गया है। निष्कर्ष रूप में लेखिका ने लिखा है कि सभी राज्यों की महिला नेतृत्व में राजनैतिक जागरूकता विकसित हो रही है व सभी राज्यों में महिला नेतृत्व में एक समानता यह भी मिलती है कि अधिकांश महिला नेतृत्व अराजनैतिक परिवारों से आई हैं, जो कि एक अच्छी शुरूआत है। सभी राज्यों में महिला जीत का श्रेय परिवार के सदस्यों की परिस्थिति को भी देती है।

- अशोक कुमार दुबे (2008)[50], **21वीं सदी में लोक प्रशासन**

प्रस्तुत पुस्तक में लोक प्रशासन को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के साथ तार्किक सम्बद्धता प्रदान कर नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक का प्रथम भाग आधारभूत लोक प्रशासन को वर्तमान के प्ररिप्रेक्ष्य में

प्रस्तुत करता है। लोक प्रशासन की बढ़ती एवं बदलती भूमिका तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर हो रहे बदलाव को न सिर्फ इस भाग में विश्लेषित करने की कोशिश की गई है, बल्कि इसके कारणों को जानने का भी प्रयत्न किया गया है। साथ ही इसमें अवधारणात्मक लोक प्रशासन पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं एव लोक प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर आ रहे वैचारिक नवीनता की ओर दृष्टिपात किया गया है। 1980 के दशक में नवटेलरवाद के साथ नवलोक प्रबंधन का उदय एवं पश्चबेलन राज्य की अवधारणा के माध्यम से उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के नवीन चिंतन को जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक मंच पर विकसित करने की कोशिश की गई उसे संतुलित बौद्धिक चिंतन के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सुशासन और लोकतंत्र की जीवंत प्रकृति के वर्णन के साथ–साथ भारतीय परिदृश्य में सुशासन का परीक्षण इस भाग में किया गया है। कॉरपोरेट सुशासन के नवीनतम वैचारिक चिंतन को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने की कोशिश की गई। प्रशासन के व्यापक क्षेत्र में जनभागीदारी की आवश्यकता एवं महत्ता को स्पष्ट करने की कोशिश इस भाग में की गई है। न्यायिक सक्रियतावाद का बढ़ता चलन और विकास प्रशासन के बदलते परिदृश्य को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक की एक विशेषता यह भी है कि यह 21वीं सदी के साइबर राज्य में भारतीय लोक सेवा पर विहंगम दृष्टिपात किया गया है एवं तटस्थता बनाम प्रतिबद्धता की पुरानी बहस को निष्कर्ष तक पहुँचाने की कोशिश की गई। तटस्थता बनाम प्रतिबद्धता की पुरानी बहस को अवधारणात्मक समाधान देने के साथ–साथ जनहित के संदर्भ में मानवीय समाधान देने का भी प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है। ज्ञान समाज को स्थापित कर जीवंत वातावरण में संपूर्ण मानव विकास के प्रति संविधान के दायरे में लोक सेवा की प्रतिबद्धता किस प्रकार संभव होगी। इसकी व्यापक चर्चा हुई है।

- एस.के. अग्रवाल (2008)[51], **टुवार्डस इम्प्रुविंग गवर्नेंस**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भारत में शासन की प्रगति के लिए नवीन तरीकों को अपनाने की बात कही है इस पुस्तक में भारत की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही भारत भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है इस बात पर भी बल दिया गया है। इसमें पिछले अनुकरणीय पहल और सार्वजनिक डोमेन उपकरण (Public Doman Tools) के बारे में भी जानकारी शामिल है।

- वाल्मिकी प्रसाद सिंह (2008)[52], **दी चेलेंज ऑफ गुड गवर्नेंस इन इण्डिया**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने सुशासन का ढांचा प्रस्तुत करते हुए इसकी विशेषताओं व मार्ग में आने वाली चुनौतियों को बताया है। लेखक ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सुशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकारा है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने सुशासन की स्थापना के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता आदि को स्वीकारते हुए राजनैतिक अपराधीकरण व भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के लिए मुख्य चुनौती के रूप में स्वीकारा है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने सरकार समाज के बीच संबंध को भी स्थापित किया है।

- डॉ. शेखर सिंह एण्ड डॉ. एस. राजापैथी (2007)[53], **सोशल ऑडिटः ए पीपुल्स मैनुअल बाई नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट एण्ड सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज**

प्रस्तुत लेख में सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वता को सुशासन का आधार स्तम्भ बनाया गया है तथा इसको मजबूत आधार प्रदान करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण एक अभियान के रूप में अपनी जड़ें जमा रहा है। जिससे सुशासन के तीनों स्तंभों को बल मिलेगा। सामाजिक अंकेक्षण को नरेगा तथा अन्य योजनाओं से मजबूती प्राप्त हुई है। सूचना का अधिकार और सामाजिक अंकेक्षण दोनों ही प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता, सहभागिता, उत्तरदायित्वता लाने के समर्थक हैं। सामाजिक

अंकेक्षण से संबंधित इस अध्ययन में राजस्थान, उड़ीसा उत्तरप्रदेश, झारखण्ड और सिक्किम आदि राज्यों में इसके प्रभाव एवं उपयोगिता का वर्णन किया गया है। यह पुस्तिका सामाजिक अंकेक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजनाओं को सुव्यवस्थित, पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन के लिए सूचना के अधिकार एवं सामाजिक अंकेक्षण को महत्वपूर्ण बताया गया है। यह पुस्तिका शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों, आमजन एवं सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों के महत्वपूर्ण स्त्रोतों एवं सामग्री हैं जो कि सूचना के अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण एवं मनरेगा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों से परिपूर्ण है।

- मारिया ई. जॉन(2007)[54], **इन पॉवर, जेण्डर कास्ट एण्ड दी पॉलिटिक्स ऑफ लोकल अरबन गवर्नेन्स**

प्रस्तुत लेख में लेखिका का उद्देश्य महिला राजनीतिक नेतृत्व के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में भावी विमर्श का सूत्रपात करना है। प्रथम मुद्दा छद्म महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों का है। स्थानीय निकायों में निर्वाचित अधिकांश महिला प्रतिनिधि स्वेच्छा से नहीं आई बल्कि उन्हें पुरूष सम्बन्धियों द्वारा महिला राजनीतिक आरक्षण की विवशता के कारण राजनीति में लाया गया। द्वितीय मुद्दा उन महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों का है जो स्थानीय निकायों में अवसर प्राप्त कर अपने राजनीतिक दायित्व का कुशल निर्वहन कर रहा है।

- यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (2007)[55], **गुड गवर्नेंस प्रेक्टिसज फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने सुशासन को परिभाषित करते हुए बताया है कि सुशासन पारदर्शिता, राजनैतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं, जबावदेहिता और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इनके माध्यम से सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। यह सुशासन और मानव अधिकारों के अंतर्गत चार क्षेत्रों लोकतांत्रिक संस्थाओं, राज्य सेवाओं के वितरण, कानून का शासन और

भ्रष्ट्राचार विरोधी उपायों आदि क्षेत्रों में संबंधों को जोड़ता है। इसमें प्रशासन में सुधार के 21 मामलों के अध्ययन को भी पुस्तक में शामिल किया गया है जिससे बेहतर मानव अधिकारों की रक्षा में मदद मिली है।

- एस.एल. गोयल एण्ड टी.एन. चतुर्वेदी (2007)[56] **राइट टू इनफोर्मेशन एण्ड गुड गवर्नेंस**

प्रस्तुत पुस्तक में सूचना के अधिकार तथा सुशासन की अवधारणा को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया है क्योंकि जब तक प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वता की भावना नहीं होगी तब तक सुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सुशासन के लिए मील का पत्थर है खासकर निर्धनों और वंचितों के लिए। इस पुस्तक में सुशासन की विशेषताओं, पारदर्शिता जबावदेहिता, जनभागीदारी आदि के बारे में बताया है साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 परिभाषा लागू करने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है। सुशासन की स्थापना का प्रयास तभी सार्थक होगा जब सूचना के अधिकार का प्रयोग अधिकतम हो। जिससे शासन के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आम लोगों की सहभागिता बढ़ेगी एवं सुशासन को कायम रखा जा सकेगा।

- एस.एल. गोयल (2007)[57], **गुड गवर्नेंस : एन इंटीग्रल अप्रोच**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने सुशासन को प्रत्येक देश के राजनैतिक व आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान समय के बदलते परिप्रेक्ष्य में सुशासन की अवधारणा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेखक ने पुस्तक में स्पष्ट किया है सुशासन के अभाव में कोई भी सरकार प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सकती है व ना ही कोई प्रशासनिक व्यवस्था अधिक समय तक जीवित रह सकती है। इस पुस्तक में लेखक ने सुशाासन अर्थ, परिभाषा, सुशासन का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के साथ संबंध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व पंचायतीराज व सुशासन को स्पष्ट किया है।

- वीनाई बायनाईया (2007)[58], **वूमन एण्ड लीडरशिप : द मीसड् मिलेनियम डेवलपमे गोल, मीनस्टरी ऑफ कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट, कल्चर एण्ड जेण्डर आफयेट्स इन कालेबोरेशन वीथ यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने महिला नेतृत्व पर ध्यान आकर्षित किया है। लेख में महिलाओं की सहभागिता के साथ–साथ नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए निजी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं में उनके ज्ञान का लाभ उठाने की हिदायत दी है। इसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में लिंग समानता की दिशा में UNDP के प्रयासों का समावेश है, साथ ही इस लेख में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का भी वर्णन किया गया है।

- जसप्रीत कौर सोनी (2006)[59], **ग्लोबलइजेशन : ब्रिजिंग डिवाइड विटवीन सिविल सोसाइटी एण्ड गुड गवर्नेंस**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने सुशासन की महत्ता को स्वीकारा है। सुशासन और नागरिकों के मांगों के संबंध में प्रस्तुत लेख वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच संबंध को समझने की कोशिश करता है। लेखक के अनुसार लोकतंत्र के तीन मुख्य आधार है, सरकार व्यवसायिक समुदाय और समाज। समाज के उद्देश्यों की पूर्ति व नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य जरूरतों की पूर्ति में स्थानीय नेतृत्व की अहम् भूमिका होती है साथ ही इसमें लेखक ने पंचायतीराज व्यवस्था की महत्ता को भी स्पष्ट किया है।

- एस.एस. अली (2006)[60], **कौटिल्य एण्ड दी कन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि विगत कुछ वर्षों में राजनीति विज्ञान में **'सुशासन'** परिचर्चा के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। साथ ही बहुत सारे संगठनों में सुशासन के संबंध में अध्ययन किया है। वर्ल्ड बैंक ने भी यह पाया है कि सुशासन के बहुत सारे गुण विकसित एवं विकासशील देशों में लाभकारी सिद्ध हुए हैं। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शासन और प्रशासन की कला

में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत की अमूल्य नीति है। जिसमें राजा और मंत्रियों के कर्त्तव्यों और दायित्वों को बताया है। प्रस्तुत लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ सुशासन की अवधारणा को खोजने का प्रयास करता है।

- शालिनी त्यागी (2006)[61], **पंचायतीराज व्यवस्था में सत्ता शक्ति का विकेन्द्रीकरण**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने अध्ययन पंचायतीराज व्यवस्था में सत्ता शक्ति का विकेन्द्रीकरण में महिला सशक्तिकरण एवं राजनीतिक सहभागिता संबंधी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया है। साथ ही पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत लिंग आधारित राजनीतिक समूहीकरण की प्रक्रिया तथा उसके अंतर्गत सत्ता एवं शक्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया के सैद्धांतिक आधारों को स्पष्ट किया है।

- वसीम एस. अहमद, गजाला परवीन नलोकर (2006)[62], **वूमन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एण्ड चेंजिंग वेअर्नस ऑफ लीडरशिप इन रूरल एरियाज ऑफ यू.पी.**

प्रस्तुत लेख में लेखिका ने 73वें संविधान संशोधन से पूर्व महिलाओं की भागीदारी बताते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज में महिला नेतृत्व के बदलते हुए प्रतिमान को प्रस्तुत किया।

- एस.एस. धारीवाल(2004)[63], **गुड गवर्नेंस इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट**

प्रस्तुत पुस्तक में नगरपालिका प्रशासन में सुशासन के मुद्दों से संबंधित हैं। मौजूदा विश्लेषण और शहरीय स्थानीय स्वशासन के भविष्य की समस्याओं के साथ शहरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा जो कि रचनात्मक सुझाव बनाता है।

- बी.एम. शर्मा, रूप सिंह बारेठ (2004)[64], **गुड गवर्नेंस, ग्लोब्लाइजेशन एण्ड सिविल सोसाइटी**

प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रीय सेमीनार में प्रस्तुत शोधपत्रों का संकलन है। यह पुस्तक सुशासन वैश्वीकरण और नागरिक समाज इन तीनों अवधारणाओं का भारतीय

राजनीतिक परिदृश्य में नवोदित वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण करने का प्रयास करती है। इस पुस्तक में सुशासन वैश्वीकरण तथा नागरिक समाज की संकल्पनाओं को परिभाषित, परीक्षण व परिष्कृत करने का प्रयत्न किया गया है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश पर इनका प्रभाव तथा इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों का इस पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि किस प्रकार शासन विशेष रूप से शासन में सुधार तथा इसके समाज के संबंध में बात करना आजकल परिपाटी हो गया है। इस पुस्तक में सुशासन के विभिन्न आयामों जैसे–विकास, संगठनात्मक प्रभाव, आमजनता के जीवन स्तर को सुधारने की वचनबद्धता, पारदर्शिता, सहभागिता, सामाजिक न्याय व प्रशासनिक सुधार को बहुत प्रभावशाली व सुरूचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

■ बी.सी. माथुर (2004)[65], **गुड गवर्नेंस एण्ड ब्यूरोक्रेसी (ए पीप इन हिस्टरी)**

शासन एक अवधारणा के रूप में अल्प विकसित रही है इसलिए इसे अलग–अलग तरह से समझा गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राज्य अपने क्रिया कलापों का प्रबंधन करता है इस पुस्तक का केन्द्रीय बिन्दु यही है कि प्रभावी एवं प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा प्रशासनिक उपकरणों पर ही सुशासन निर्भर करता है। प्रस्तुत खण्ड प्रसिद्ध लोकसेवकों के 21 महत्वपूर्ण लेखों का संकलन है जिसमें सुशासन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक वर्तमान व आने वाली लोकसेवकों की पीढ़ियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देती है। जिससे कि वे अपने विचारों को इस प्रकार ढाले कि जन नीतियों को बेहतर तरीके से बनाया एवं लागू किया जा सके हैं। लोकसेवकों बुद्धिजीवियों एवं सामान्य पाठकों हेतु यह पुस्तक काफी उपयोगी है।

■ इ. वायन्दान, मैथ्यू डॉली (2004)[66], **गुड गवर्नेंस इनिशिएटिवज इन इण्डिया**

प्रस्तुत पुस्तक में सुशासन को लेखक ने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सुशासन की महता को दर्शाया है। इसमें लेखक ने अपना ध्यान सुशासन से

जुड़े मुद्दों व उसकी रणनीति पर केन्द्रित किया है। इसमें लेखक ने जोर दिया है कि कैसे भारत में सार्वजनिक सेवाओं को कुशल व प्रभावी बनाया जा सकता है। इस पुस्तक में जबावदेहिता, पारदर्शिता, क्षमता, प्रभाव, भागीदारी, विकेन्द्रीकरण सहभागिता आदि पर बल दिया है ताकि भारतीय प्रशासन को सुशासन की ओर ले जा सकें। इसके लिए लेखक ने इससे जुड़ी तीन रणनीतियों की चर्चा की जो इस प्रकार है–प्रथम प्रशासन में सुधार, पुनर्विचार, पुर्नगठन पर आधारित।

द्वितीय–सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और ई सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में प्रशासन के आवेदन पर आधारित है।

तृतीय–रणनीति विकेन्द्रीकरण अर्थात् जो कि जनसहभागिता व उनसे जुड़ी नीतियों के निर्माण व निजीकरण से है इसके अलावा इसमें विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए भारत में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला है।

- सी.पी. बर्थवाल (2003)[67], **गुड गवर्नेंस इन इण्डिया**

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने **'सुशासन'** की अवधारणा पर अत्यधिक बल दिया है। पुस्तक में लेखक ने सुशासन का अर्थ परिभाषित करते हुए उसकी प्रशासन व समाज में उसकी भूमिका को भी स्पष्ट किया है। साथ ही भारत में सुशासन, पंचायतीराज व सुशासन व वैश्वीकरण, सुशासन व लोकतंत्र, सुशासन व मानवाधिकार आदि विषयों को प्रस्तुत किया है।

- सुभाष, सी. अरोड़ा, आर.के. प्रभाकर (2002)[68], **गुड गवर्नेंस एण्ड पंचायती राज**

प्रस्तुत लेख में लेखक ने बताया है कि समाज के पूर्व निर्धारित वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दक्ष व प्रभावी संगठन का समाज के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार होना अत्यन्त आवश्यक है। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में सुशासन के 10 सूचकों का वर्णन किया है और वर्तमान में भी उनके विचार उतने ही समीचीन एवं उपयोगी है जितने पहले थे इसी परिप्रेक्ष्य में 'विश्व बैंक' द्वारा वर्तमान

परिप्रेक्ष्य में कौटिल्य के विचारों का सार ही दर्शाया गया है जिसमें कि राजनीतिक उत्तरदायित्व, सहभागिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व कानून के शासन पर आधारित एक न्यायिक ढांचे की स्थापना हो। एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था जो निपुण एवं प्रभावशाली सरकार के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन नियंत्रण निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा जन योजनाओं को बनाने में अभिव्यक्ति एवं सूचना की स्वतंत्रता, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों में आपसी सहयोग। सुशासन का अर्थ है जन कल्याण की उत्कृष्ट भावना के साथ सरकार व नौकर शाही नीतियों का पालन जनता अपना कर्तव्य समझकर तथा गहरी निष्ठा के साथ कानून का इस्तेमाल करें जिसमें पारदर्शिता, जबावदेहिता हो। सुशासन के उक्त बिन्दु पंचायतीराज पर भी लागू होते हैं जैसे कि विकेन्द्रीकरण दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत नौकरशाही में ग्रामीण विकास में रूचि का अभाव लोक संचार माध्यमों (मीडिया) व गैर सरकारी संस्थाओं की रचनात्मक भागीदारी तथा जागरूक एवं कर्त्तव्यनिष्ठ ग्रामीण जनता का सहयोग व सहभागिता यही कारक पंचायतीराज स्तर पर सुशासन की स्थिति को प्रभावित व निर्धारित करते हैं। सुशासन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पंचायती राज स्तर पर होती है। क्योंकि केन्द्र व राज्य व स्थानीय स्तरों में स्थानीय स्तर पर पंचायती राज ही आम जनता के सबसे नजदीक होता है तथा पंचायती राज ही लोकतंत्र की इमारत की आधारशिला है।

- निर्मला बुच(2000)[69], **नयी पंचायतों में महिलाओं का अनुभव, ग्रामीण महिलाओं का उभरता हुआ नेतृत्व**

प्रस्तुत रिपोर्ट (लेख) में लेखिका ने बताया कि महिला सशक्तिकरण चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो या आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में हो सर्वप्रथम महिला की शिक्षा का उद्देश्य है कि वो पुरूष और महिलाओं दोनों को सजग करे उनकी भूमिका को समझने और विविध भूमिकाएं महिलाओं द्वारा की जाती है। उनको समाज द्वारा स्वीकृति मिले। लेखिका का कहना है कि महिलाओं के प्रति की जा रही लिंग भेद असमानता को दूर किया जाए। महिलाओं को स्वयं के प्रति अपनी सोच पहचान,

रणनीति और संकल्पना विकसित करनी होगी तभी उनका विकास और सशक्तिकरण संभव है।

- ट्रेम्बले एण्ड प्रेमा कुम्ताकर (1998)[70], **गवर्नेंस एण्ड रिप्रजेटेंस : ए स्टडी ऑफ वूमन एण्ड लोकल सेल्फ गवर्मेंट**

प्रस्तुत लेख के अंतर्गत लेखिकाओं ने मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की 16 पंचायतों की महिला प्रतिनिधियों का अध्ययन किया है। जिसमें राज्य स्तर की नौकरशाही तथा राजनीतिक संरचना में पुरूष वर्ग के वर्चस्व को महिला सहभागिता में बाधक तत्व के रूप में बताया है।

- नैनसी जे. एडलर (1997)[71], **ग्लोबल लीडरशिप विमेन लीडर्स, एम.आई.आर. मेनेजमेण्ट इण्टर नेशनल रीव्यू**

प्रस्तुत लेख में लेखिका ने महिला नेतृत्व की प्रकृति के बारे में बताया है। लेख में भूमंडलीकरण नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करते हुए उन प्रमुख पदों का भी उल्लेख है जहां तक महिलाओं के नेतृत्व की पहुंच हो चाहे वो राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद, या सी.ई.ओ. का पद हो। महिला शक्ति की प्रकृति को बदल सकती है। लेकिन शक्ति महिलाओं की प्रकृति को नहीं बदल सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. सुशासन की विस्तृत सैद्धांतिक जानकारी प्रदान करना।
2. अध्ययन द्वारा ग्रामीण स्थानीय नेतृत्वकृत्रियों के रूप में महिला सरपंचों को सूचना के अधिकार एवं सूचना तकनीकों द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सुशासन की महत्ता को स्पष्ट करना।
3. ग्रामीण स्थानीय शासन के प्रशासन में पारदर्शिता, जबावदेहिता तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करना।

4. ग्रामीण स्तर पर स्थानीय महिला नेतृत्व को सुशासन हेतु सूचना के अधिकार के माध्यम से ग्रामीण विकास विशेषतः महिला एवं बालिकाओं के विकास हेतु कानून एवं योजनाओं की सुदृढ़ता से क्रियान्विति हेतु प्रोत्साहित करने में भूमिका का अध्ययन करना।

5. अध्ययन द्वारा ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व की सुशासन के प्रति दृष्टिकोणों को ज्ञात करना।

6. ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व की सुशासन में भूमिका का अध्ययन करना।

7. ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व की सुशासन के लिए प्रशासन तंत्र से अपेक्षाओं का अध्ययन कर महिला नेतृत्व द्वारा सुशासन स्थापित करने में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

8. सुशासन द्वारा जनसशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

9. भविष्य में होने वाले सुशासन से संबंधित शोध के लिए आधार एवं सहायक सामग्री प्रदान करना।

अध्ययन का महत्त्व :

ग्रामीण स्थानीय नेतृत्व एवं सुशासन (अजमेर जिले की महिला सरपंचों के संदर्भ में एक अनुभवपरक अध्ययन) सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन महिला सरपंचों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनको सशक्त बनाने का प्रयास करेगा, साथ ही यह अध्ययन महिला सरपंचों के सुशासन के प्रति दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर क्षेत्र के महिला सरपंचों के विचारों को भी प्रभावित करेगा। जिसका प्रभाव पंचायत स्तर से केन्द्रीय स्तर देखा जा सकेगा। अतः अध्ययन का महत्व महिला सरपंचों के साथ–साथ जनसामान्य एवं विद्यार्थियों हेतु बढ़ जाता है। इस आधार पर प्रस्तुत अध्ययन के महत्व को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं–

1. **स्थानीय नेतृत्व के लिए महत्व** : प्रस्तुत अध्ययन द्वारा सरपंच सूचना का अधिकार व सुशासन के प्रति जागरूक होंगे। जिससे कि उनमें स्वयं के अधिकारों के प्रति चेतना आएगी। जिससे कि भविष्य में कार्यों को करने से यह अधिकार मार्गदर्शन का काम करेंगे।

2. **जन सामान्य के लिए महत्व** : सूचना का अधिकार जन सामान्य को प्राप्त वह अधिकार है जिसके द्वारा जनता सरकार एवं शासन से उस प्रत्येक सूचना को प्राप्त कर सकती है जो जनहित से जुड़ी हुई है। अतः प्रस्तुत अध्ययन द्वारा जनता को जनहित एवं जनकल्याण की अवधारणा से अवगत कराते हुए इससे जुड़ी समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे जनता में जागरूकता व नवचेतना का संचार होगा। अध्ययन का महत्व और अधिक प्रभावी रूप से दृष्टिगोचर होगा जब जनता जागरूक होकर जन समस्याओं के संदर्भ में सरकार एवं शासन में सहभागी होगी। प्रस्तुत अध्ययन ग्राम पंचायत स्तर से जुड़ा है। अतः इसके द्वारा न केवल जनता को ग्राम स्तर पर संचालित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी वरन् कोई योजना विधिवत क्रियान्वित हो रही है या नहीं के साथ–साथ योजनाओं में हो रही अनियमितता, अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के प्रति भी सचेत कर प्रस्तुत अध्ययन कर सुशासन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, को भी रेखांकित किया गया।

3. **सरकार के लिए महत्व** : वर्तमान अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतांत्रिक सरकारों में जनप्रतिनिधि ही जनता की भावनाओं को कारगर बनाते हैं। अतः नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी सुशासन को सुदृढ़ व्यवस्थित एवं शक्तिशाली करने के लिए कानूनों का निर्माण करेंगे। अतः प्रस्तुत अध्ययन केन्द्र एवं राज्यों सरकारों को भी दिशा–निर्देशन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

4. **प्रशासन के लिए महत्व** : सूचना का अधिकार शासन को सुशासन में परिवर्तित करने वाला अभेध अस्त्र है। सूचना के अधिकार से जनता प्रशासन से जुड़े किसी भी मुद्दे की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है। अतः प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। प्रशासन में पारदर्शिता से प्रशासनिक समस्याओं भ्रष्टाचार अनियमितता, लालफीताशाही तथा भाई–भतीजावाद पर रोक लगेगी। सूचना के अधिकार को जानकर प्रशासन से संबंधित समस्याओं को दूर कर इसे सुशासन में बदलने का प्रयास करेंगे।

5. **विद्यार्थियों के लिए महत्व** : सूचना के अधिकार के प्रयोग द्वारा विद्यार्थी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को खुलासा कर पाने में सक्षम हो सकेंगे और यह अधिकार प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली तथा भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। इस अधिकार के माध्यम से प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी तथा उसका लाभ उसको प्राप्त होगा।

अध्ययन की प्राक्कल्पनाएँ :

1. ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्वकृत्रियाँ शासन को सुशासन में परिवर्तित करने हेतु सजग एवं सचेत है।
2. ग्रामीण स्थानीय नेतृत्वकृत्रियाँ ग्रामीण स्तर पर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में पूर्ण भागीदारी एवं जबावदेहिता रखती है।
3. ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्वकृत्रियों को अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु प्रशासन तंत्र से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होता।
4. स्थानीय महिला नेतृत्वकृत्रियाँ पंचायत स्तर पर सुशासन स्थापित करने के लिए जागरूक एवं दृढ़ संकल्प है।

अध्ययन के चर :

वैज्ञानिक अध्ययनों में चरों का विशेष महत्व है। सामाजिक अनुसंधान चरों से प्रारंभ होते हैं और अंतिम निष्कर्ष भी चरों के आधार पर निकाले जाते हैं। अतः

किसी भी समस्या को समझने के लिए उन कारकों या चरों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि उसे प्रभावित करते है। प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख संघटक जैसा क अध्ययन के विषय के शीर्षक **ग्रामीण स्थानीय नेतृत्व एवं सुशासन (अजमेर जिले की महिला सरपंचों का अनुभवपरक अध्ययन)** से स्पष्ट होता है कि **महिला तथा सुशासन** अध्ययन के केन्द्रीय एवं प्रमुख चर हैं। साथ ही अन्य चरों एवं संघटकों के रूप में समानता, सहभागिता, **पारदर्शिता, जबावदेहिता, उत्तरदायित्व एवं संयुक्त सार्वजनिक प्रबंधन** को लिया गया है।

अध्ययन पद्धति :

अध्ययन पद्धति के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन **अनुभवपरक वृत्त** में आता है। अतः **साक्षात्कार अनुसूची** द्वारा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। उत्तरदाताओं के अभिमतों का संकेतीकरण तथा सारणीकरण करते हुए सांख्यिकीय दृष्टि से केवल प्रतिशत को ही काम में लिया गया है। साथ ही उपलब्ध विषय सामग्री का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक पद्धति से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन प्रविधि :

प्रस्तुत अनुसंधान प्ररचना की दृष्टि से अनुभवपरक, अप्रायोगिक, लघुकाल, खण्डीय, सूक्ष्मस्तरीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन है।

1. **भौगोलिक क्षेत्र का चयन** : अध्ययन विषय का चयन करने के पश्चात् उत्तरदात्री द्वारा स्वयं के पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा समय, धन ओर मानवीय सीमाओं के प्रबंधन की दृष्टि से स्वयं के निवास स्थल राजस्थान के अजमेर जिले का चयन किया गया है। शोधकर्त्री इसी जिले की मूल निवासी है जिससे उसे भौगोलिक परिस्थितियों और भाषा का पूर्ण ज्ञान है, जिसमें स्थानीय नेतृत्व के रूप में महिला सरपंचों से आसानी से

साक्षात्कार कर तथ्यों का संकलन कर सकी है। साथ ही अजमेर राजस्थान का **हृदय स्थल** रहा है जो ब्रिटिश काल से ही प्रशासनिक आधार पर **'प्रेसिडेंसी'** होने के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। अजमेर बहुसंस्कृति वाला जिला होने के कारण यहाँ कई धर्म, सम्प्रदाय तथा समुदाय के लोग रहते हैं। जिनके विकास एवं कल्याण हेतु नेतृत्व के सामने विशिष्ट प्रकार की समस्याएँ आती है का निवारण सरपंच के रूप में महिलाएँ किस प्रकार करती हैं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव किया गया है।

2. **अध्ययनार्थ विश्व एवं अध्ययन की ईकाई :** प्रस्तावित अध्ययन हेतु विश्व का निर्माण शोध के लिए चयनित भौगोलिक क्षेत्र अजमेर जिले की 276 ग्राम पंचायतों में से 50 प्रतिशत महिला सरपंचों वाली ग्राम पंचायतों को बनाया गया है। अतः उत्तरदाता के रूप में जिले की 276/2 में से 138 ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों को लिया गया है, जो पूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करती है।

3. **संकलन विधि :** अध्ययन हेतु प्राथमिक आकंड़ों के संकलन के लिए तथ्य संकलन की दो महत्वपूर्ण विधियों साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची : साक्षात्कार अनुसूची के निर्माण हेतु सर्वप्रथम अध्ययन की समस्या एवं विषयवस्तु से संबंधित विषय सामग्री को एकत्रित किया गया है। इन एकत्रित तथ्यों के आधार पर एक संरचित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ–साथ खुले प्रश्न हैं। अधिकांशतः उत्तरदात्रियों की शिक्षा का स्तर निम्न होने की वजह से प्रश्नावली को समझने में समस्या हो सकती है। अतः अध्ययन के विश्व की शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अवलोकन : आनुभाविक अध्ययनों में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आंकड़ों को एकत्र करने की विधियों की अपनी एक निश्चित सीमा होती है। ऐसे में अवलोकन कई महत्वपूर्ण पक्षों पर जानकारी प्रदान करेगा। अतः शोधार्थी कुछ महिला नेतृत्व वाली ग्राम पंचायतों में होने वाली गतिविधियों का सुशासन के संदर्भ में अवलोकन करेगी।

4. **अध्ययन के स्रोत** : प्रस्तावित अध्ययन मूलतः अनुभवपरक वृत्त में आता है, जिसके लिए अंर्तविषयी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अध्ययन मूलतः दो प्रकार के स्त्रोतों पर आधारित है।

प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत : **प्राथमिक स्त्रोत** के रूप में तथ्यों के एकत्रीकरण हेतु अनुसंधानकर्त्री द्वारा चयनित विश्व ग्रामीण स्थानीय नेतृत्व की महिला सरपंचों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाएगा। साथ ही सरकार एवं प्रशासन संबंधित आयोगों की रिपोर्टस विधेयकों तथा अधिनियमों को शामिल किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में पुस्तकालय एवं इंटरनेट पर इस विषय से सम्बद्ध सामग्री के रूप में पुस्तकों, प्रकाशित, अप्रकाशित शोध ग्रंथों तथा पत्र–पत्रिकाओं में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग अध्ययन हेतु किया गया है। यह अध्ययन सामग्री विषय से संबंधित सैद्धातिक विश्लेषण एवं इस संदर्भ में पूर्व में हुए अध्ययनों के अवलोकन का प्रमुख आधार होगी तथा शोध से निकलने वाले निष्कर्षों के तुलनात्मक विश्लेषण में भी सहायक होगी।

अध्याय योजना :

प्रस्तुत अध्ययन को **छः अध्यायों** में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है–

प्रथम अध्याय – परिचयात्मक

प्रस्तुत अध्याय में शोध विषय का परिचय, तर्काधार तथा अध्ययन से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, विषय के चयन की प्रासंगिकता एवं महत्व, उद्देश्य तथा प्राकल्पनाओं के साथ–साथ शोध की अध्ययन पद्धति एवं अध्ययन के स्त्रोतों का

विवेचन किया गया है। अध्याय के अंत में अध्ययन की अध्याय योजना की प्रासंगिकता, अध्ययन के उद्देश्य, महत्व तथा तदन्तर शोध प्राकल्पनाओं के साथ–साथ शोध की अध्ययन प्रविधि तथा पद्धति एवं अध्ययन के स्त्रोतों तथा तथ्य संकलन विधियों का विवेचन किया गया है।

द्वितीय अध्याय – अवधारणात्मक विवेचन एवं विश्लेषण :

प्रस्तुत अध्याय में शोध समस्या से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं पंचायतीराज सुशासन, सूचना का अधिकार, नेतृत्व शक्ति एवं सत्ता तथा दृष्टिकोण एवं अन्य अवधारणाओं का विवेचन किया गया है।

तृतीय अध्याय – अध्ययन क्षेत्र का पारिस्थितिकीय विवेचन एवं विश्लेषण :

इस अध्याय में अध्ययन से संबंधित अध्ययन क्षेत्र का परिचय दिया गया है। राजस्थान राज्य, अजमेर जिला एवं चयनित ग्राम पंचायतों की भौगोलिक जनसांख्यिकीय स्थिति, सामाजिक परिदृश्य, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति का वृहद् विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय – उत्तरदात्री परिचय

प्रस्तुत अध्ययन अनुभवपरकवृत्त में आता है, इसलिए अध्ययन का मूल केन्द्र इसका विषय राजस्थान के अजमेर जिले की महिला सरपंच उत्तरदाता के रूप में है। उत्तरदाता के दृष्टिकोण उससे संबंधित परिवेश से निर्मित होते हैं। अतः इस अध्याय में ग्राम पंचायत स्तर के स्थानीय नेतृत्वकर्ता के रूप में महिला सरपंचों के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, निवास संबंधी स्थितियों एवं दशाओं का विवेचन तथा विश्लेषण किया गया है।

पंचम अध्याय – ग्रामीण स्थानीय महिला नेतृत्व एवं सुशासन के प्रति दृष्टिकोण : विवेचन एवं विश्लेषण :

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन का विश्व महिला सरपंचों के सुशासन के प्रति दृष्टिकोणों का अनुसूची द्वारा प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर विवेचन एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

षष्टम अध्याय – शोध निष्कर्ष समस्याएँ एवं सुझाव :

इस अध्याय में अध्ययन से निकलने वाले निष्कर्षों का विश्लेषण करते हुए उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए प्राकल्पनाओं की जाँच का प्रयास किया गया तथा इनके आधार पर महिला सरपंचों को सुशासन स्थापित करने में आने वाली समस्याओं एवं समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। अंत में अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन का मूल्यांकन किया गया है।

अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची तथा अध्ययन हेतु साक्षात्कार अनुसूची के लिए संरचित प्रश्नावली एवं अवलोकन निर्देशिका को सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ :

अनुभवपरक अध्ययन को एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में किया जाना एक दुष्कर कार्य है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन एक सीमा है। यह अध्ययन राजस्थान के अजमेर जिले तक सीमित है। इसलिए इस अध्ययन के निष्कर्ष इसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत देखे गए हैं। साथ ही अध्ययन कार्य समय व धन की सीमाओं से आबद्ध होता है। चूंकि अध्ययन वर्ष 2010 में चुनी गई अजमेर जिले की महिला सरपंचों से संबंधित है। अतः उत्तरदाता के रूप में 2010 में चुनी गई महिला सरपंचों को ही लिया गया है। अध्याय चूंकि महिला नेतृत्व की सुशासन के प्रति सजगता एवं सचेतना से संबंधित है अतः इसके निष्कर्ष भी **महिला नेतृत्व** से जुड़े होंगे।

पंचायतीराज स्तर पर सुशासन के सदंर्भ में कोई सुस्पष्ट प्रतिमान स्थापित नहीं हो पाया है। अतः अध्ययन में सुशासन के विभिन्न आयामों को खोजने का सीमित प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. आशीष भट्ट, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002, पृ.सं. 75–76
2. विजय करण सिंह, पंचायती राज व्यवस्था, आर.बी.एस. पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृ.सं. 21
3. वर्ल्ड बैंक, 1992, गवर्नेंस एण्ड डवलपमेंट, वाशिंगटन डी.सी. वर्ल्ड बैंक
4. अशोक कुमार दुबे, 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन टाटा मेकग्रॉहिल्स पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2008, पृ.सं. 23–25
5. रहमान अतियुर, ''गवर्नेंस एण्ड लोकल गवरमेण्ट सिस्टम'' इन हसंत अब्दुल हये (e.d), गवर्नेंस : साउथ एशियन प्रसपेक्टिव, मनोहर, नई दिल्ली, 2001, पृ.सं. 231–233
6. यू.एन.डी.पी., वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट, 2002, ''डिफाइनिंग डेमोक्रेसी इन ए फ्रेगामेंट वर्ल्ड''
7. वर्ल्ड बैंक, गवर्नेंस एण्ड डवलपमेंट (1989), न्यूर्याक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
8. यूनेस्को, केपीसिटी बिल्डिंग फॉर गवर्नेंस, पेरिस
9. सी.पी. बर्थवाल, गुड गवर्नेंस इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, 2003, पृ.सं. 31–34
10. वर्ल्ड बैंक, 1997, टू 2002–2003, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, दी वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन
11. अशोक कुमार दुबे, '21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन, टाटा मैकग्राहिल्स पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2008, पृ.सं. 111
12. www.achikhabar.com/2015/4/28/Sushashan_divas_goodgoverence_day.hindi_essay

13. एस.आर. सिंह, पंचायत एण्ड गुड गुड गवर्नेंस, ए.पी.एच. पब्लिशिंग क्रॉरपोरेशन, नई दिल्ली, 2014

14. योगेश, नरेलिया, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का सशक्त हथियार है, प्रशासनिका, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोकप्रशासन संस्थान, जयपुर, 2013

15. उमा शर्मा, ''भ्रष्टाचार निवारण के लिए सूचना का अधिकार'', प्रशासनिका, ह. च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2013

16. रमेश सी. श्रीवास्तव, ''गुड गवर्नेंस एशनसियलस प्रिंसिपल्स'' प्रशासनिका, ह. च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2013

17. आर. के. चौबीसा, नरेश कुमार रावत ''सुशासन के बढ़ते कदम : राजस्थान में जनसुनवाई का अधिकार'', प्रशासनिका ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2013

18. शीला राय, ''ट्रांसपरेन्सी एण्ड एकाउन्ट विलिटी इन गवर्नेंस एण्ड राइट टू इन्फॉरमेशन इन इण्डिया'', प्रशासनिका, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोकप्रशासन संस्थान, जयपुर, 2012

19. सी. राज. कुमार ''करप्शन एण्ड ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया : कम्परेटिव परस्पेक्शन ऑन ट्रांसपरेन्सी एण्ड गुड गवर्नेंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2012

20. सुनील महावर, ''भारत में सुशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं : भूमिका संभावनाएं और चुनौतियां'', लोकतंत्र समीक्षा, शिवम् ऑफसेट प्रेस, नई दिल्ली, 2012

21. सी. राव कुमार, ''करप्शन एण्ड ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया : कम्परेटिव परस्पेक्शन ऑन ट्रांसपरेन्सी एण्ड गुड गवर्नेंस'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2012

22. फोर्म रिजर्वेशन टू पार्टिसिपेशनः, केपेसिटी विल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वूमेन रिप्रजेन्टेरिवस एण्ड फंक्शनरीज ऑफ पंचायती राज इन्सटीट्यूशन्स ए रिपोर्ट, 2012

23. निर्मला सिंह, विनिता सिंह, राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर, 2012

24. चेतना सिंह, पंचायती एक्ट एण्ड ग्रास रूट लीडरशिप इन डिसेन्ट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, दी इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइन्स, दी क्वार्टली जनरल ऑफ इण्डियन पॉलिटिकल साइन्स एसोसिएशन, वोल्यूम LXXIII, नं. 2, मेरठ, 2012

25. एण्ड्रयू जे. डूबीन, लीडरशिप : रिसर्च फाइंडिंग (प्रेक्टिस एण्ड स्किल), साउथ वेस्टर्न केनगेज लर्निंग, मसन, यू.एस.ए., 2012

26. सुरेन्द्र मुंशी, बीजू पॉल अब्राहम, सोमा चौधरी, सुशासन, सेज एण्ड रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011

27. कामेश्वर दयाल, फ्रीडम ऑफ प्रेस एण्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन, साइबरटेक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011

28. रमेश एच. मैकवाना, ''ट्राईबल विमैन लीडरशिप इन पंचायत'', थर्ड कन्सेप्ट'', ए जनरल ऑफ आइडियाज, प्रकाशदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली, 2011

29. निर्मला सिंह, दिव्या सिंह, महिला नेतृत्व एवं महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा परिदृश्य : एन इण्टनडिसिप्लिनरी रिफर्ड, जनरल ऑफ ह्यूमनिटीज एण्ड सोशल साइन्स, वोल्यूम नं. 2, थर्ड इश्यू, मेरठ, 2011

30. शैलेन्द्र मौर्य, महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2011

31. जोजफ बनश्री, कैपब्लिटी ऑफ इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेन्टिव ऑन जेन्डर इश्यूज इन ग्रासरूट गवर्नेंस, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2011

32. सुनील गुप्ता, कमल किशोर सिंह, सुशासन – उद्विकास, संकल्पना, अनुप्रयोग एवं अन्य सम्बन्धित अवधारणाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2011

33. वर्षा राजोरा, टेकलिंग करप्शन थ्रू आर.टी.आई. : ए बेस फॉर गुड गवर्नेंस (http://SSrn.com/so13/papers.cfm?abstract.id=15722)

34. राजवीर एस. ढाका, राइट टू इन्फॉरमेशन एण्ड गुड गवर्नेंस, कन्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010

35. एस. के. कटारिया, राइट टू इन्फॉरमेशन : लेशन एण्ड इम्पलीकेशन्स, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, 2010

36. विजयप्रकाश श्रीवास्तव, नेतृत्व के आयाम, योजना भवन, नई दिल्ली, 2010

37. जगवीर कौशिक, ग्रामीण भारत के चतुर्विध विकास की पहल, कुरूक्षेत्र, अंक–6, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010

38. अखिलेश चन्द्र यादव, बदलते गाँव, उभरता देश, कुरुक्षेत्र अंक–3, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010

39. शोभा नाटाणी, भारतीय समाज और नारी : दशा और दिशा, भाग 1–2, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, 2010

40. प्रतापमल, देवपुरा, आर्थिक स्वावलम्बन से होगी महिलाएँ सशक्त, कुरुक्षेत्र, अंक–7, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010

41. उमर फारूकी, महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका, कुरूक्षेत्र, अंक–12, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010

42. अंशु आशीष कुमार, सूचना मांगने वाले खुद भी पारदर्शी बने, इण्डिया फाउन्डेशन फॉर रूरल डवलपमेन्ट, 2010 (http://suchnaexpress.blogspott.com/2010/10/blogport.html)

43. शुभब्रात दत्त, डेमोक्रेटिक, डिसेन्ट्रलाईज्ड एण्ड ग्रासरूट लीडरशिप इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009

44. एस. नगेन्द्र अम्बेडकर, गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, वॉल्यूम–XXXVI, नं.–2, एण्ड वॉल्यूम–XXXVII, नं. 1, जनवरी–दिसम्बर, पृ.सं. 101–108

45. प्रकृति माथुर, राइट टू इनर्फोमेशन : ए टूल फोर रिर्फोन्स एण्ड गुड गवर्नेंस, प्रशासनिका, वॉल्यूम–XXXVI, नं. 1–2, जनवरी दिसम्बर, 2009 पृ.सं. 89–93

46. ए.पी. सक्सेना, राइट टू इनर्फोमेशन एक्ट : टुवार्डस गुड गवर्नेंस, वॉल्यूम–XXXVI, नं. 1–2, जनवरी–दिसम्बर, 2009, पृ.सं. 20–25

47. सूर्यनरेन यादव, इन्दु बहल, गुड गवर्नेंस : इश्यूज चेलेजेंज एण्ड प्रोसपेक्टस ग्लोबल विजन, पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009

48. अनिल कुमार ठाकुर, कृष्णानन्द यादव, गवर्नेंस डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेंट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009

49. स्नेहलता कलकल, ग्रामीण नेतृत्व की उभरती प्रवृत्तियाँ (राजस्थान पंचायती राज महिला प्रतिनिधियों का एक अध्ययन) प्रकाशित शोध ग्रंथ, नवजीवन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009

50. अशोक कुमार दुबे, 21वीं सदी में लोकप्रशासन, टाटा मेकग्रो हिल्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008

51. एस.के. अग्रवाल, टुवार्डस इम्प्रुविंग गवर्नेंस, अकेडमिक फाउण्डेशन, नई दिल्ली, 2008

52. वाल्मिकी प्रसाद सिंह, दी चेलेंज ऑफ गुड गवर्नेंस इन इण्डिया, सोशल चेंज, मार्च, वॉल्यूम–38, नं.–1, पृ.सं. 85–107, 2008

53. शेखर सिंह, डॉ. एस. राजापैथी, सोशल ऑडिट : ए पीपुल्स मैनुअल बाई नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट एण्ड सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज, पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलमेंट, हैदराबाद, 2007 (http:www./Ipcb.org/pcb/index.php?option.com.documents/stask-doc. view&grid=111518)

54. ई. जॉन मारिया, इन पॉवर जेण्डर कास्ट एण्ड दी पॉलिटिक्स ऑफ लोकल अरबन गवर्नेंस, इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल, विकली, वोल्यूम नं. 13, 2007

55. यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस प्रेक्टिसज फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशनल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007

56. एस.एल. गोयल, टी.एस. चतुर्वेदी, राइट टू इन्फोमेशन एण्ड गुड गवर्नेंस, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007

57. एस.एल. गोयल, गुड गवर्नेंस : एन इंटीग्रल अप्रोच, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007

58. वीनाई बायनाईया, वूमन इन लीडरशिप : द मीसड मिलेनियम डेवलपमेण्ट गोल, मीनस्टरी ऑफ कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट, कल्चर एण्ड जेण्डर ऑफ येटस इन कॉलेबोरेशन वीथ यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम, डीसटीन्न्यूशड लेक्चर सीरीज ट्रीनीडेड एण्ड टोबागो, 11 अक्टूबर, 2007

59. सोनी, जसप्रीत कौर सोनी, ग्लोबलाइजेशन : ब्रिजिंग डिवाइड बिटवीन सिविल सोसाइटी एण्ड गुड गवर्नेंस, दी इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस दी इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, मेरठ, वॉल्यूम–LXVII, नं.–2, अप्रैल–जून, पृ.सं. 279–283, 2006

60. एस.एस. अली, कौटिल्स एण्ड दी कन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, दी इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दी इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, मेरठ, वॉल्यूम–LXVII, नं–2, अप्रैल–जून, पृ.सं. 375, 2006

61. शालिनी त्यागी, पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता शक्ति का विकेन्द्रीकरण, नवजीवन पब्लिकेशन्स, निवाई, 2006

62. वसीम एस. अहमद, नलोकर, गजाला परबीन वूमन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एण्ड चेंजिंग वेअर्नस ऑफ, लीडरशिप इन रूरल एरियाज ऑफ, यू.पी. इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दी इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, मेरठ, वॉल्यूम–LXVIII, नं. 3, जुलाई–सितम्बर, 2006

63. एस.एस. धारीवाल, गुड गवर्नेंस इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004

64. बी.एम. शर्मा, रूप सिंह बारेठ, गुड गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन एण्ड सिविल सोसाइटी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, 2004

65. बी.सी. माथुर, गुड गवर्नेंस एण्ड ब्यूरोक्रेसी (ए पीप इन हिस्टरी), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004

66. इ. वायन्दान, डॉली मैथ्यू, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिवज इन इण्डिया, पी.एच.एल. लर्निंग प्रावेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2004

67. सी.पी. बर्थवाल, गुड गवर्नेंस इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003

68. सुभाष सी. अरोडा, आर. के. प्रभाकर, गुड गवर्नेंस एण्ड पंचायती राज, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रिसर्च जनरल, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अनुसंधान, रोहतक, वॉल्यूम–1, नं.–2, 2002

69. निर्मला बुच, नयी पंचायतों में महिलाओं का अनुभव, ग्रामीण महिलाओं का उभरता हुआ नेतृत्व, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय सेंटर फॉर वुमेन डवलपमेन्ट स्टडीज, न्यू दिल्ली, 2010

70. ट्रेम्बले, प्रेमा, कुम्ताकर गवर्नेंस एण्ड रिप्रजेटेंस : ए स्टडी ऑफ वूमन एण्ड लोकल सेल्फ गवर्मेंट, इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, वॉल्यूम–44, 1998

71. नैनसी जे. एडलर, ग्लोबल लीडरशिप : विमेन लीडर्स एम.आई.आर. : मैनेजमेण्ट इन्टरनेशनल रीव्यू, वोल्यूम–37, इण्टरनेशनल ह्यूमन रीसोर्स एण्ड क्रोस कल्चरल मैनेजमेण्ट, पेज 171–196, पब्लिशड बॉय : स्प्रीन्गर, 1997 (http://www.jstor.org/stable/40228426)